अध्याय-प्रथम

मानवाधिकार-परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास

अध्याय प्रथम

मानवाधिकार-परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास

1.1 मानवाधिकार - सामान्य परिचय

1.1.1 भूमिका

1.1.2 मानवाधिकार का अर्थ

1.1.3 मानवाधिकार की परिभाषा

1.1.4 मानवाधिकार की विशेषताएं

1.1.5 मानव अधिकारों का महत्व

1.1.6 मानवाधिकार के प्रमुख सिद्धान्त

1.1.7 मानवाधिकार के मूल तत्व

1.1.8 मानवाधिकार का वर्गीकरण

1.1.9 शोध के उद्देश्य

1.1.10 शोध पद्धति

1.2 मानवाधिकार - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास

1.2.1 धर्म और मानवाधिकार

1.2.2 अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों का विकास

1.2.2.1 इंग्लैण्ड में मानवाधिकारों का विकास

1.2.2.2 संयुक्त राज्य अमेरिका में मानवाधिकारों का विकास

1.2.2.3 फ्रांस में मानवाधिकारों का विकास

1.2.2.4 सोवियत संघ में मानवाधिकारों का विकास

1.2.2.5 कनाडा में मानवाधिकारों का विकास

1.2.2.6 विश्व के अन्य देशों में मानवाधिकारों की स्थिति

1.2.2.7 भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन और अधिकार

1.3 मानवाधिकार : ऐतिहासिक घटनाक्रम

1.4 वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों का विकास एवं घटनाक्रम

1.5 मानवाधिकार : विकास के विभिन्न चरण

1.6 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन मानव अधिकार

1.7 निष्कर्ष

अध्याय प्रथम

मानवाधिकार-परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास

1.1 मानवाधिकार - सामान्य परिचय

1.1.1 भूमिका

सर्वे भवन्तु सुखिनेः, सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिन्द्र दुःख भाग्भवेत्।।

मार्कण्डेय पुराण में यह कहा गया है कि मै सभी प्राणियों के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ सभी भय से मुक्त हो, सभी भाईचारे, ममता, स्नेह और आनन्द से परिपूर्ण हो, चाहे वे अपने हों या गैर हो।

विश्व में प्राचीनकाल से किसी न किसी रूप में मानवाधिकार की अवधारणा विद्‌यमान थी, मानवाधिकार किसी भी सभ्य समाज के विकास का मूल आधार होते है। मानव अधिकार का जन्म धरती पर मानव के विकास के साथ ही हुआ, जैसे - जैसे सभ्यता का विकास हुआ, उसी क्रम में मानव अधिकारों का उत्तरोत्तर विकास होता गया। शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्याय में मानव अधिकार क्या है, और इसकी अवधारण के विभिन्न पहलू क्या है, मानवाधिकरों का ऐतिहासिक उद्भव एवं विकास घटनाक्रम किस तरह हुआ इत्यादि विषयों के सन्दर्भ में उल्लेख कर मानवाधिकरों को समझाने का प्रयास किया तथा यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानवाधिकारों के स्त्रोत है।

1.1.2 मानवाधिकार का अर्थ

मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के लिए आवश्यक अधिकारों से होता है अर्थात मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के उन न्यूनतम अधिकारों से है जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, मानव अधिकारों एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ट संबंध है अर्थात् वे अधिकार जो मानव

गरिमा को बनाये रखने के लिए आवश्यक है, उन्हे मानव अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकारों का सम्बन्ध मानव की स्वतंत्रता समानता एवं गरिमा के साथ जीने के लिए स्थितियाँ उत्पन्न करने से होता है। मानव अधिकार ही समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करते है जिसमें सभी व्यक्ति समानता के साथ निर्भीकरूप से मानव गरिमा के साथ जीवन यापन कर पाते हैं। प्रो. लास्की ने कहा था कि "अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिनके बिना सामान्यत: कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता है।"[1]

मानव बुद्धिमान व विवेकपूर्ण प्राणी है और इसी कारण उसे कुछ ऐसे मूल तथा अहरणीय अधिकार प्राप्त रहते है जिसे सामान्यतया मानवाधिकार या मानव अधिकार कहा जाता है। चुँकि ये अधिकार उनके अस्तित्व के कारण उनसे संबंधित रहते है अत: वे उनमें जन्म से ही विहित रहते है। इस प्रकार मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिये होते है चाहे उनका मूल, वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है क्योंकि ये उनकी गरिमा एवं स्वतन्त्रता के अनुरूप है। तथा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण के लिए सहायक होते है। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये मानव के भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करते है। इन अधिकारों के बिना सामान्यत: कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्णत: विकास नही कर सकता। मानव जाति के लिए मानव अधिकार का अत्यन्त महत्व होने के कारण मानव अधिकार को कभी-कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और जन्म अधिकार भी कहा जाता है।[2]

---

[1] प्रो. आर.पी. जोशी, मानव अधिकार एवं कर्तव्य, अभिनव प्रकाशन, अजमेर, प्रथम संस्करण : 2006 पृ. सं. 2

[2] डॉ. एच. ओ. अग्रवाल, अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, तेरहवाँ संस्करण : 2013, पृ. सं. 668

चुँकि मानव अधिकारों को किसी विधायनी ने निर्मित नहीं किया वह बहुत कुछ नैसर्गिक अधिकारों से मिलते है या उनके समान है प्रत्येक सभ्य देश या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था या निकाय उन्हे मान्यता देती है या स्वीकार करती है। मानव अधिकारों को संशोधन की प्रक्रिया के अधीन भी नहीं किया जा सकता है। मानव अधिकरों के संरक्षण के विधिक कर्तव्य में उनका सम्मान करने का कर्तव्य सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य मानव अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों का सम्मान करते है तथा उनका अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध है[3]। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित मानव अधिकारों के विषय में चिंता कोई आधुनिक या नवीन बात नहीं है। ऐसे अधिकार वास्तव में नैसर्गिक विधि एवं नैसर्गिक अधिकारों में भूतकाल के महान ऐतिहासिक आन्दोलनों के उत्तराधिकारी है। विश्व के सभी महान धर्मो तथा दर्शन में तथा तत्कालीन विज्ञान के अन्तर्सम्बन्धों की खोज में मानव गरिमा तथा व्यक्ति एवं समुदाय के मूल्यों के सम्मान की बाते कही गयी है।[4]

यद्यपि मानव अधिकार निर्विवाद रूप से आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है फिर भी विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विधिक प्रणाली, उनके विचार तथा उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों में भिन्नता के कारण इस शब्द को परिभाषित करना कठिन है वास्तव में मानव अधिकार सामान्य शब्द है और इसके अन्तर्गत सिविल और राजनैतिक अधिकार तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित है।[5]

1.1.3 मानवाधिकार की परिभाषा

प्रो. होब्स हाऊस के अनुसार मानवाधिकार वह है, जिसमें हम दूसरों से कुछ आशाएँ करते हैं तथा दूसरे भी हमसे कुछ आशाएँ करते हैं। इस आशा के वातावरण में सभी सार्थक अधिकार समाज कल्याण की शर्ते होती हैं। इस प्रकार

---

[3] लाटरपैट इन्टरनेशनल लॉ एण्ड हयूमन राईट्स, पृ. सं. 152

[4] एम.एस. मैकडागल ऐण्ड बेबर, "ह्यूमन राईट्स इन द यूनाईटेड नेशन्स" ए.जे.आई.एल., वाल्यूम 56 (1994), पृ. सं. 604

[5] डॉ. एच. ओ. अग्रवाल, अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, तेरहवाँ संस्करण : 2013, पृ. सं. 668

मानवाधिकार वह है जिसका दावा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक कार्यों की पूर्ति के लिए करता है, ऐसे दावों की समाज आशा करता है।[6] ये दावे दूसरे के सामाजिक दायित्व के सहवर्ती हैं। इस प्रकार मानवाधिकार सामाजिक शर्तें हैं।

न्यायमूर्ति होम्स ने प्राकृतिक विधि का उल्लेख करते हुए कहा है कि "अधिकार विशुद्ध रूप से आगमनात्मक कथन की न्यूनतम निश्चित पूर्ति है, जिनके बिना हम जीवन को उत्तम नहीं बना सकते हैं।"

प्रो. हार्ट का कथन है कि यदि मानव प्राणी साथ-साथ रहना चाहता है तो उसके लिए कुछ मूल नियमों का अनुपालन करना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार के अनुपालन को मानव अधिकार के नाम से सम्बोधित किया जा सकता है।

हैराल्ड जे. लास्की का यह कथन था कि अधिकार मानव के सामाजिक जीवन की ऐसी शर्तें हैं, जिसके बिना कोई व्यक्ति अथवा मानव सामान्यत: अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है।

लास्की के अनुसार- "अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाऐं है जिनके बिना, सामान्यत: कोई भी व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की उच्चता को नहीं पहुंच सकता है।"

टी.एच.ग्रीन के मतानुसार, "अधिकार वह शक्ति है जिनकी मांग केवल लोक कल्याण के लिये ही की जाती है और जिन्हें इसी उद्देश्य से मान्यता भी दी जाती है।"

बोसीकें के शब्दों में "अधिकार द्वारा ही मनुष्य समाज में उन्नति कर सकता है अर्थात् ये वे मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।"

मैकने के अनुसार "अधिकार मानव के सामाजिक हित की वे लाभदायक परिस्थितियां है जो उसके सच्चे विकास के लिए आवश्यक है।"

---

[6] डॉ. गोकुलेश शर्मा, ह्यूमन राईट्स एण्ड सोशियल जस्टिस, 1997, पृ. 1

आर.जे.विंसेट के विचार में "मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है।"

डेविड सेलबाई कहते हैं कि "मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्ति को प्राप्त हैं, क्योंकि यह स्वयं में मानवीय है, वे पैदा नहीं किये जा सकते, खरीद या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं।"

ए.ए.सईद के अनुसार "मानव अधिकारों का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्म-सम्मान का भाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है।"

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 (1) (घ) के अनुसार 'मानव अधिकारों' से तात्पर्य "प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।"

अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से आशय -"संयुक्त राष्ट्र की महासभा 16 दिसम्बर, 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट करे, से अभिप्रेत है।[7]

---

[7] मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अधिनियम सं. 43 द्वारा प्रतिस्थापित (मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कीर धारा 2(1) (च))

1.1.4 मानव अधिकारों की विशेषताऐं

मैक्फारलेने ने अपनी पुस्तक The Theory and Practice of Human Rights में मानव अधिकारों की पांच प्रमुख विशेषताऐं बतालाई हैं जो निम्नलिखित हैं[8]-

- **सार्वभौमिकता-** मैक्फारलेने के अनुसार, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार सभी व्यक्तियों, प्रत्येक समय पर तथा प्रत्येक स्थितियों में प्राप्त होते हैं। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अन्तर्गत भी कहा गया है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात ये अधिकार किसी एक विशेष राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं।
- **व्यक्तिगतता-** मानव अधिकारों की अवधारणा की व्युत्पत्ति मानव के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से सम्बन्धित हैं। जिसके अन्तर्गत माना जाता है कि व्यक्ति के पास सोचने एवं समझने की शक्ति होती है अर्थात वह बौद्धिक प्राणी हैं। इस बौद्धिकता के कारण व्यक्ति स्वयं अपना भला, बुरा सोचने एवं नैतिक स्वतंत्रता के रूप में उसे अपने कार्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
- **सर्वोच्चता-** मानव अधिकारों को सर्वोच्च इसलिए माना जाता है, क्योंकि राज्य द्वारा जनहित के आधार पर इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। विश्व के प्रत्येक देश में इन अधिकारों को संवैधानिक एवं कानूनी आधार पर संरक्षण प्रदान किया जाना अनिवार्य होता है।
- **व्यावहारिक-** मानव अधिकारों की व्यावहारिकता से तात्पर्य है कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं तथा उन्हें व्यावहारिक तभी माना

---

8 प्रो. आर.पी. जोशी, मानव अधिकार एवं कर्तव्य, अभिनव प्रकाशन, अजमेर, प्रथम संस्करण : 2006 पृ. सं. 3-4

जा सकता है, जबकि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना अवसर एवं सुविधाएँ अवश्य प्रदान करें, जिनमें वह अपना जीवनयापन कर सकें। मानव अधिकार केवल कानून एवं नियमों तक सीमित न रहकर उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किये जाना ही मानव अधिकारों की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है।

- **क्रियान्वयन योग्य-** मानव अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से होता है जो कि वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किये जाने योग्य होते हैं, अर्थात ऐसे अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता जिन्हें क्रियान्वयन करना संभव नहीं होता है। परन्तु मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानव अधिकार संरक्षण एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वयन किया जाना संभव होता है।

1.1.5 मानव अधिकारों का महत्व

मानव सभ्यता को विकसित करने में विधि और उसकी प्रक्रिया ने अहम भूमिका का निर्वाह किया है। विधि ने व्यक्ति अथवा मानव को विकसित करने के लिए अधिकारों का बोध कराया है।[9] मानवाधिकारों की उत्पत्ति ही संघर्ष के परिणामों से हुई है, इसलिए इन अधिकारों की उपादेयता अथवा महत्व मानव के आपसी सहयोग के आधार पर पारस्परिक सौहार्द्र को प्रोत्साहन देना है तथा संघर्ष की स्थितियों का निदान करना है। इसके महत्त्व का विवेचन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है[10]-

- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों ने तृतीय विश्वयुद्ध की विभीषिका को रोका है। अर्वाचीन मानवाधिकार प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की देन है। इसलिए इनके प्रभाव ने भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष को स्थिर किया है।

---

9 जी.सी.सुब्बाराव, जुरिसप्रुडेंस, तृतीय संस्करण, पृ. सं. 161

10 डॉ शिवदत्त शर्मा, मानव अधिकार, विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण : 2006, पृ. सं. 30-31

- मानवाधिकारों के द्वारा सामाजिक वातावरण में सौहार्द बंधुता और समरसता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। सौहार्द के वातावरण में एक व्यक्ति का मानवीय अधिकार दूसरे व्यक्ति पर कर्तव्य आरोपित करता है। कर्तव्य के अनुपालन को विधि के द्वारा सुनिश्चित कराया जाता है। इस प्रकार इनसे सामाजिक सौहार्द के लिए सभी प्रकार के सिद्धान्तों को प्रबलता प्राप्त होती है।

- मानवाधिकार प्राकृतिक अथवा सार्वभौम अधिकारों के रूप में संरक्षित हित है।[11] इनसे नैतिकता के सिद्धान्त सुदढ़ होते हैं।

- मानवाधिकार विधि के शासन में प्रभावकारी उपादान हैं। इन अधिकारों के उपयोग से प्रशासनिक प्राधिकारियों की मनमानी, अयुक्तियुक्त और अऋजुतापूर्ण कार्यवाही पर नियंत्रण लगाया जा सकता है।

- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुसार सभी राष्ट्रों के सभी मानवों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। फलत: इनसे विश्व समुदाय में मैत्री की विचारधारा का प्रसार एवं प्रचार होता है।

- मानवाधिकार सच्चाई तथा न्याय से मानव द्वारा प्राप्त की जाने वाली मूल आवश्यकताओं के साथ-साथ सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत मानव के सर्वांगीण विकास के साधन हैं। इनके द्वारा व्यक्ति वास्तविक मानव श्रेणी में अपने को प्रतिस्थापित करता है।

- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के उपरांत मानवाधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को राज्य के विरुद्ध लागू करने के उपादान हैं।[12]

- मानवाधिकारों को लागू करने के लिए प्राय: सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोगों का गठन किया गया है। ये आयोग सरकारी तंत्रों के अव्यवस्थित और उपेक्षापूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखने के

---

[11] सामंड, जुरिसप्रूडेंस (बारहवां संस्करण), 1966 पृ. सं. 218

[12] डब्ल्यू. मिलर, ह्यूमन राईट्स ए बिबलियोग्राफी, 1970-76 (1977)

लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यों से मानवाधिकारों की महत्ता सामाजिक अव्यवस्था को व्यवस्थित करने में कारगार सिद्ध हो रही है। उदाहरणार्थ भारत के तमिलनाडू राज्य के रामनाथपुरम में दो दर्जन से अधिक विक्षिप्त व्यक्तियों की 7 अगस्त 2001 की सुबह जलकर मृत्यु हो गई थी, इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को फैक्स भेजकर एक सप्ताह के अन्दर विक्षित रोगियों के जलकर मरने की विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी।[13] इससे यह सिद्ध होता है कि मानवाधिकार सरकारी तंत्र के कार्यों में सजगता से सार्थक भूमिका निभाते हैं।

- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं का महत्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधि शास्त्र के उद्देश्य से आचार की नैतिक संहिता है।[14] ये संहिताएं आदर्शात्मक एवं व्यावहारिक है।

1.1.6 अधिकारों के प्रमुख सिद्धान्त

अधिकारों से सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं[15] -

- **अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धान्त :** अधिकारों से सम्बन्धित प्राकृतिक सिद्धान्त सबसे पुराना सिद्धान्त है, जो अधिकारों को प्रकृति की देन मानता है, इस सिद्धान्त से सम्बन्धित सर्वप्रमुख विचारक जॉन लॉक है उनके अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतन्त्रता व सम्पत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। रूसो, स्पेन्सर, टॉमस पेन तथा मिल्टन ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया इन विचारकों के अनुसार मनुष्य के अधिकार राज्य की स्थापना और गठन के पूर्व भी विद्यमान थे। ऐसे अधिकार नागरिकों को

---

13 दैनिक जागरण, उत्तरांचल संस्करण, 7 अगस्त, 2001, पृ. 1 एवं 15.

14 अध्यक्ष, रेल बोर्ड बनाम श्रीमती चन्द्रिमा दास, (2002) 2 उम. नि. प. 10 ¾ (2002) 2 एस.सी. सी. 465

15 अनीश भसीन, मानवाधिकारों का उद्भव एवं विकास, प्रतियोगिताएँ दर्पण, हिंदी मासिक पत्रिका, जनवरी 2011, पृ. सं. 1077-1080

जन्मजात ही प्राप्त होते हैं। अधिकार राज्य की देन नहीं है वरन् यह अधिकार तो स्वयं राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। अमरीकी स्वतन्त्रता की घोषणा (1776), मानवाधिकारों के फ्रांसिसी घोषणा पत्र (1789) तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र (1948) में भी प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी।

- **अधिकारों का कानूनी सिद्धान्त** : अधिकारों का कानूनी सिद्धान्त प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत है, यह सिद्धान्त बताता है कि अधिकार प्राकृतिक नहीं है, अपितु वह राज्य की देन है, वह देश के कानून की देन है, इस प्रकार यह अधिकार कृत्रिम है, राज्य इनमें संशोधन कर सकता है, इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थकों में बेन्थम, आस्टिन, हॉलैण्ड व सामण्ड आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं बेन्थम के अनुसार- "अधिकार विधि और केवल विधि के फल हैं, बिना विधि के कोई अधिकार नहीं है विधि के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है तथा विधि के पूर्व भी कोई अधिकार नहीं हैं।"
- **अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त** : अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धान्त के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है, यहाँ पर इतिहास का अर्थ रीति-रिवाजों तथा प्रथाओं से है, प्राचीनकाल में समाज में जो प्रथाऐं लोकप्रिय थीं, उन्हें कालान्तर में अधिकारों का दर्जा मिल गया। मैंकाईवर, सर हेनरी मेन, एडमण्ड बर्क और बर्गेस इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक है। एडमण्ड बर्क के अनुसार फ्रांस में जो क्रान्ति हुई, उसका मुख्य कारण यही था कि सम्राट ने जनता के परम्परागत अधिकारों को स्वीकार नहीं किया था।
- **अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धान्त** : अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धान्त को व्यक्तिवादी सिद्धान्त भी कहते हैं, इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकारों का आधार नैतिकता है, इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य को उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए, जो कि नैतिक है और

सामाजिक हित में वृद्धि करते हैं टी.एच. ग्रीन इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक हैं, इस सिद्धान्त के प्रतिपादक व्यक्तियों की नैतिक शक्तियों के विकास को व्यक्तित्व का विकास मानते हैं। यह उनकी धारणा है कि इन नैतिक शक्तियों के विकास के लिए जो बाह्य परिस्थितियां आवश्यक है वह ही अधिकार हैं।

- **अधिकारों का समाज कल्याण या उपयोगितावादी सिद्धान्त :** अधिकारों के इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकारों का आधार समाज कल्याण की भावना है, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को अधिकार इसलिए दिए जाते हैं, जिससे वह समाज का उपयोगी अंग बने और समाज कल्याण करे बेन्थम, जे.एस. मिल व लास्की ने अधिकारों के इस सिद्धान्त का समर्थन किया, लास्की के अनुसार "समाज कल्याण के लिये ही अधिकार देना है जिसमें स्वयं मेरा कल्याण घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।"

अधिकारों के उपर्युक्त पांचों सिद्धान्तों से स्पष्ट है कि उनमें से कोई भी एक पूर्णतया न तो सही है और न पूर्णतया त्यागने योग्य है, प्रत्येक राज्य इन सभी सिद्धान्तों से कुछ-न-कुछ ग्रहण करते हुए अपने नागरिकों को विभिन्न अधिकार देता है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त यह बताता है कि कुछ अधिकार मनुष्य के लिए प्राकृतिक हैं इस अर्थ में यह प्राकृतिक हैं इसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता है, कानूनी सिद्धान्त यह बताता है कि अधिकारों पर राज्य की स्वीकृति आवश्यक है। ऐतिहासिक सिद्धान्त की यह धारणा सही है कि राज्य, समाज में प्रचलित महत्वपूर्ण रीति-रिवाजों की अवहेलना नहीं कर सकता है, आदर्शवादी सिद्धान्त मनुष्य के अधिकारों का विवेकपूर्ण आधार पेश करता है, वहीं अधिकारों का समाज-कल्याण सिद्धान्त अधिकारों का आधार समाज कल्याण की भावना मानता है।

1.1.7 मानवाधिकार के मूल तत्त्व

मानवाधिकार के मूल तत्त्व निम्नलिखित है[16]-

- प्रत्येक मानव प्राणी इन अधिकारों के लिये हकदार हैं, क्योकि यह अधिकार उसे मानव के रूप में जन्म लेने के आधार पर मिले हैं।
- प्रत्येक मानव के साथ उसकी गरिमा जुड़ी हुई है।वह चाहे अभियुक्त हो या युद्धबंदी, चाहे बालक हो या दलित हो, हर मानव की गरिमा की रक्षा आवश्यक है।
- मानव व्यक्तित्व का विकास इन मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है - जैसे शिक्षा का अधिकार, अच्छी कार्य दशा का अधिकार आदि मिलने पर ही व्यक्ति विकास कर सकता है।
- मानव की प्रसन्नता के लिये इन मानवाधिकारों की रक्षा की जानी आवश्यक है। प्रत्येक मानव के सुख की ये पूर्व शर्ते हैं।
- मानवाधिकार प्रत्येक मानव को बिना किसी भेदभाव के प्राप्य हैं चाहे वह किसी भी प्रजाति, लिंग, भाषा, रंग व धर्म से संबंध रखता हो।

1.1.8 मानवाधिकार का वर्गीकरण

मोटे तौर पर मानवाधिकारों को पांच वर्गों में बांटा जा सकता है -

1. **सिविल अधिकार :** "सिविल और राजनैतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय करार" के अनुसार प्रमुख सिविल अधिकार निम्नलिखित हैं -

   (क) जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 6)

   (ख) यातना के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 7)

   (ग) दासता के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 8)

   (घ) स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 9 तथा 26)

[16] दिलिप जाखड़, मानवाधिकार, यूनिवर्सिटी बुक, हाउस प्रा. लि., जयपुर, प्रथम संस्करण : 2000, पृ. सं. 2

(ङ) विधि के समक्ष समानता का अधिकार (अनुच्छेद14)

(च) विचार, अंतरात्मा व धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 18)

2. **राजनैतिक अधिकार** : उपरोक्त करार के अनुसार प्रमुख राजनैतिक अधिकार निम्नांकित हैं -

(क) परामर्श देने अर्थात राय रखने का अधिकार (अनुच्छेद 19)

(ख) शांतिपूर्ण समूह बनाने का अधिकार (अनुच्छेद 21)

(ग) एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 22)

(घ) मत देने, निर्वाचित होने व लोकसेवा में चुने जाने का अधिकार (अनुच्छेद 8)

3. **आर्थिक अधिकार** : "आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय करार" के अनुसार निम्नलिखित आर्थिक अधिकार प्रत्येक मानव को मुख्य रूप से प्राप्त है-

(क) किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार (अनुच्छेद 5)

(ख) कार्य करने का अधिकार (अनुच्छेद 6)

(ग) न्यायपूर्ण कार्यदशा का अधिकार (अनुच्छेद 7)

(घ) श्रम संघ बनाने का अधिकार (अनुच्छेद 25)

4. **सामाजिक अधिकार** : उपरोक्त करार के अनुसार दिये गये कुछ सामाजिक अधिकार निम्नांकित हैं -

(क) सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमे का अधिकार (अनुच्छेद 9)

(ख) उचित जीवन स्तर का अधिकार (अनुच्छेद 11)

(ग) शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार (अनुच्छेद 12)

(घ) प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 13)

5. **सांस्कृतिक अधिकार** : उपरोक्त करार के अनुसार प्रमुख सांस्कृतिक अधिकार निम्नांकित हैं -

सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, वैज्ञानिक प्रगति का लाभ लेने का अधिकार, वैज्ञानिक कलात्मक व साहित्यिक रचना के रचनाकार को उसका लाभ लेने का अधिकार आदि (अनुच्छेद 15)

6. कुछ नये मानवाधिकार

मानवाधिकारों का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, मानवाधिकार संगठनों और न्यायपालिका के निर्णयों ने इन अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की है।पूर्व में बताये अधिकारों के अलावा महिलाओं के अधिकार, विकास का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार आदि इसी तरह के हैं[17]। अपराध से पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की परम्परा भी हाल के वर्षों में प्रारम्भ हुई है जिसमें क्षतिपूर्ति के अधिकार का स्वरूप सामने आया हैं इसके अलावा बाढ़, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति को भी मानवाधिकार माने जाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। सूचना जानने का अधिकार भी अक्सर मानवाधिकारों में गिना जाने लगा है। इस संबंध में' सूचना के अधिकार का अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन' किया गया है। अनेक देशों में सरकारी अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त करने के प्रावधान बनाये गये हैं। रोजगार पाने के अधिकार को भी कुछ लोग मानवाधिकार में शामिल करते हैं। 'रोजगार नीति पर कन्वेंशन' किसी अधिकार की प्राप्ति की दिशा में उठाया गया कदम है।" भूख और कुपोषण की समाप्ति पर सार्वभौम घोषणा" के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया कि मानव गरिमा को बनाये रखना भी मानवाधिकार के दायरे में शामिल है। शांति से रहने के अधिकार की व्याख्या' लोगों के शांति के अधिकार की घोषणा' में की गई है। 'विकास के अधिकार की घोषणा' के द्वारा विकास को भी मानवाधिकार का अंग माना गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38(1) मानवाधिकारों की नींव की तरह है

---

17 Human Rights & Third countries - Z.A. Nizami & Devika paul P. 107

जो राज्यों को ऐसी व्यवस्था प्राप्त करने का निर्देश देता है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय सुनिश्चित हो। भारत में न्यायपालिका में अनेक निर्णयों ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के उपयोग के अधिकार पर स्वास्थ्य के स्वास्थ्य अधिकार, नि:शुल्क सहायता के अधिकार व शिक्षा के अधिकार आदि पर ऐतिहासिक निर्णय दिये हैं। अनेक कमजोर वर्गों की सुरक्षा को उनके मानवाधिकार में शामिल करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय घोषणाऐं व कन्वेंशन जारी किये गये हैं जिनमें बालक, विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित लोग शामिल हैं। शरणार्थी व अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों को भी मान्यता दी गई है।[18]

1.1.9 शोध के उद्देश्य

प्रस्तावित शोध मानव अधिकारों के संरक्षण के संबंध में राजस्थान राज्य मानव अधिकरा आयोग की भूमिका पड़ौसी राज्यों के विशेष सन्दर्भ में एक विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन में निम्न उद्देश्यों के आधार पर अध्ययन किया गया है।

(1) मानवाधिकार के विभिन्न स्त्रोतों को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महत्व, विकास के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मानवाधिकारों को उजागर किया गया।

(2) मानवाधिकारों के बारे में जानना तथा उनका विशलेषणात्मक तथा तुलनात्मक अध्ययन राजस्थान राज्य मानव अधिकारा अयोग एवं उसके पड़ौसी राज्यों के राज्य मानव अधिकारा आयोग के सन्दर्भ में अध्ययन किया गया है।

---

[18] दिलिप जाखड़, मानवाधिकार, यूनिवर्सिटी बुक, हाउस प्रा. लि., जयपुर, प्रथम संस्करण : 2000, पृ. सं. 2-4

(3) राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की राजस्थान राज्य के मानव अधिकारों के संरक्षण में भूमिका तथा उनकी कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन किया गया है।

(4) राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा राजस्थान राज्य में मानव अधिकार को लागू करवाने के लिए किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों का अध्ययन करना तथा उन प्रयासों को किस प्रकार से सार्थक बनाया जा सके, का अध्ययन किया गया है।

(5) राजस्थान राज्य के पड़ौसी राज्यों के मानवाधिकार आयोगों की मानव अधिकरों के संरक्षण में भूमिका का अध्ययन करना और किस प्रकार राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है उसके बारे में विश्लेषण तथा तुलना की गई है।

(6) राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकारो के संरक्षण के सन्दर्भ दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा-निर्देशों का अध्ययन किया गया।

(7) राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा मानव अधिकरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जन जागरूकता हेतु किये गये विभिन्न प्रयास जैसे:- सेमीनार, बैठक, निरीक्षण का अध्ययन किया गया जिससे मानवाधिकारों के बारे जनमानस को जानकारी हो सके।

(8) राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर विधि के छात्रों एवं अन्य छात्रों को मानव अधिकारों के संबंध इन्टरशीप करवाये गये का अध्ययन किया गया।

(9) राजस्थान राज्य में मानववाधिकारों के बारे में लोकमत की भावनाओं का पत्ता प्रदर्शित किया गया है।

(10) राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग तथा मानव अधिकारों के बारे में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे में अध्ययन किय है।

(11) मानवाधिकार के सरंक्षण के संदर्भ में आने वाली समस्याओं का विशेष अध्ययन कर उनका निराकरण के बारे में अध्ययन किया गया है।

(12) मानवाधिकारों का भारतीय संविधान के अन्तर्गत्त किस प्रकार से संरक्षित किया गया तथा उनके उल्लंघन पर क्या उपचार प्राप्त है, साथ ही भारतीय न्यायपालिका मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने में भूमिका का अध्ययन किया गया है।

(13) राजस्थान राज्यों के पड़ौसी राज्यों के राज्य मानव अधिकारों आयोगा के द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय दिशा-निर्देशों का अध्ययन किया गया है।

(14) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकरों के संरक्षण के संबंध में भूमिका का अध्ययन किया गया तथा उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया है।

(15) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राजस्थान राज्य एवं उनके पड़ौसी राज्यों के मानव अधिकारों की प्राप्त शिकायतें निपटाई गई एवं लम्बित प्रकरणों का सारणीय द्वारा विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

1.1.10 शोधपद्धति

मानव एक विचारशील प्राणी है वह निरन्तर अपने आस-पास होने वाली घटनाओं के प्रति सजग तथा संवेदशील रहता है और अपनी स्मरण शक्ति के बल पर निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है इसी का परिणाम है कि मनुष्य ने

संसार के अन्य सभी प्राणियों की तुलना में संसार पर अपना वर्चस्व कायम किया है और समाज तथा संस्कृतियों का विकास किया है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ संघर्ष का भी जन्म हुआ है और मनुष्यों के आपस के संघर्ष को समाप्त तथा संयमित करने के लिए विधि का निर्माण हुआ है। समाज में विधि का कार्य समाज को अनुशासित रखने तथा मनुष्य के स्वच्छंद व्यवहार को सन्तुलित रखने का होता है।

मनुष्य को मनुष्य होने के नाते इस संसार में कुछ मनवीय तथा विधिक अधिकार प्राप्त हो रहे जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते है। इन्हें अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग नामों से पुकारा (सम्बोधित) किया गया है। वर्तमान में इन अधिकारों को मानवधिकार कहा जाता है, मानवाधिकारों का इतिहास पुराना है और शनै:शनै आज वर्तमान समय में मानव सभ्यता इन अधिकारों की परिपक्वता की तरफ अग्रसर हो रही है।

संसार का काई भी लौकतान्त्रित राष्ट्र अपने नागरिकों को उनके मानव अधिकारों के उपयोग करने से वंचित नहीं रख सकता है और मानवाधिकार विश्व परिप्रेक्ष्य में मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक तथा अपरिहार्य बन चुके हैं, इसी का कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी मानव अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय विषय के रूप में मान्य करता है। भारत संसार का सबसे बड़ा लौकतान्त्रित राष्ट्र है और लोकतन्त्र होने के कारण भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति के सभी दायित्वों को निर्वहन भली-भॉती किया है। 1948 की सार्वभोमिक घोषणा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में भारत ने अपनी उपस्थिति तथा सहमति सदैव दर्ज की है इसी का परिणाम है कि भारत में भी राष्ट्रीय तथा प्रदेश स्तर पर मानव अधिकारों को लागू करवाने का एक सुस्पष्ट ढाँचा तैयार किया गया है। इसमें राजस्थान राज्य तथा उसके सभी पड़ौसी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश इत्यादि में मानवाधिकरों के संरक्षण सवंर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न राज्या आयोगों का गठन किया है।

वर्तमान शोध में शोधकार्ता ने अपने शोध अध्ययन में राजस्थान मानवाधिकार आयोग की भूमिका तथा पड़ौसी राज्यों में संचालित मानवाधिकार आयोगों से विश्लेषणात्मक तथा तुलनात्मक अध्ययन को अपना विषय माना है इस शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने विभिन्न आकड़ों को एकत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार की शोधपद्धतियों का उपयोग किया है। शोधकर्ता ने अपने शोध के दौरान दो प्रकार के आंकड़े एकत्रित किये, प्राथमिक आंकड़े तथा द्वितीय आंकड़े।

1. प्राथमिक आंकडे

इस प्रकार के आंकड़े उन आकड़ों को कहा जाता है जिनमें एक व्यक्ति अपने अनुभव तथा आत्म अभिव्यक्ति के कारण किसी अन्य व्यक्ति तथा घटना से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। इस प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता ने निम्न प्रकार की विधियों का उपयोग किया है।

(अ) साक्षात्कार

साक्षात्कार का अंग्रेजी शब्द Interview होता है। जिसका अर्थ दो भागों में Inter भीतर तथा View देखना होता है अर्थात् किसी व्यक्ति के आन्तरिक तथ्यों को जाने की प्रणाली को साक्षात्कार कहते है। साधारण शब्दों में कहे तों जब एक व्यक्ति किसी एक या अधिक व्यक्तियों के सामने बैठ कर कुछ प्रश्न करता है और बिना सोचे उनसे उत्तर प्राप्त करने की आशा करता है, इस प्रक्रिया को साक्षात्कार कहा जाता है, शोधकार्ता ने विभिन्न स्तरों पर इस प्रणाली का उपयोग मानवाधिकारों के बारें में विभिन्न लोगों से राय प्राप्त करने में किया है इनमें मानवाधिकार आयोगों से सम्बन्धित विशिष्ट जनसामान्य नागरिक, पत्रकार, पुलिस कर्मी इत्यादि शामिल है।

(ब) अवलोकन

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य तथा घटना को अपने सामने घटित होते हुए अपनी ऑखों से देखता है तथा अपने कानों से सुनता है इस प्रक्रिया को अवलोकन कहा जाता है। अवलोकन किसी भी तथ्य को वास्तिविक रूप प्रदान

करता है और अवलोकन कर्ता अपने अन्तर्मन से उस तथ्य तथा घटना का गुणावगुण स्वयं ही तय कर लेता है। वर्तमान शोध प्रक्रिया में शोधकर्ता को कई बार अपने स्वयं के समक्ष इस प्रकार की घटनाओं तथा तथ्य सामने प्रतीत हुऐ जो मानवाधिकारों से सम्बन्धित थे और मानवाधिकारों का हनन तथा उन अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया तथा उनसे जुडे हुए पहलुओं को स्वयं शोधकर्ता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया गया है।

(स) तदर्श निर्देशन पद्धति

जब कभी किसी समग्र में से समस्त समग्र का अध्ययन न करके केवल उसका कोई भाग का ही अध्ययन किया जाता है उसे निर्देशन पद्धति कहा जाता है यह पद्धति कम खर्चीली तथा सुविधा जनक होती है निर्देशन का अंग्रेजी अर्थ Sampling होता है जिसमें कुछ भाग का ही अध्ययन करके समस्त समग्र के बारे में अनुमान लगा लिया जाता है इसी के साथ - साथ तदर्श निर्देशन पद्धति का उपयोग इस अध्ययन में किया गया है इसमें बिना किसी नियम तथा सुनिश्चित के समग्र में से कही से भी किसी भाग को चुना जाता है। इसें तदर्श निर्देशन कहा जाता है। वर्तमान शोध में शोधकर्ता का अध्ययन क्षेत्र राजस्थान तथा उसके पड़ासी राज्यों के मानवाधिकारों की भूमिका होने के कारण अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया हैं जिसका समस्त का अध्ययन किया जाना समय तथा अन्य परिस्थितियों में व्यवहारिक नहीं था, इसलिए इस आयोगों की समस्त प्रक्रिआयों में से कुछ चयनित घटनाओं तथा तथ्यों का अध्ययन शोध की उपयोगिता की दृष्टि से किया गया है।

(द) प्रश्नावली व अनुसूची

प्रश्नावली तथा अनुसूची किसी भी तथ्य तथा तथ्यों को जानने की क्रमबंध सूची होती है इनका उपयोग एक मनुष्य से कम समय तथा कम संसाधन में अधिक जानकारी प्राप्त करना होता है प्रश्नावली तथा अनुसूची दोनों ही कुछ प्रश्नों

की सूचियॉ होती है जिनका उद्देश्य एक ही प्रपत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पुछ कर एक समय तथा कम व्यय में अधिक से अधिक आंकडे जुटाना होता है।

वर्तमान शोध में शोधकर्ता का अध्ययन क्षेत्र काफी बड़ा तथा जटिला था इसमें इन दोनों प्रणालियों के माध्यम से शोधकर्ता ने राजस्थान के मानवाधिकार आयोग तथा पड़ौसी राज्यों के मानवाधिकार आयोगों की भूमिका तथा कार्यप्रणाली को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न लोगों से राय प्राप्त करके समझने का प्रयास किया है। सभी जगह तथा सभी सम्बन्धित लोगों से मिलना असंभव था इसलिए शोधकर्ता ने प्रश्नावली तथा अनुसूची तैयार करके डाक तथा कोरियर ऐजेसियों के माध्यम से विभिन्न अपने शोध के उपयोग हेतु एकत्रित किये। इन दोनों प्रणालियों का उपयोग प्रारम्भिक आकडे एकत्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण था।

2. द्वितीयक आंकडे

द्वितीयक आंकडे सामान्यतया उन आंकडो को कहा जाता है जो पहले किसी शोधकर्ता तथा व्यक्ति के द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित कर दिये जाते है और बाद में कोई अन्य व्यक्ति उन आंकड़ों को अपने उपयोग में लेता है अथवा संकलन करता है। इस प्रकार से पहले से प्रकाशित पुस्तके, पत्र-पत्रिकाऐं विभिन्न रिपोर्ट इत्यादि। द्वितीयक आंकड़ों के अन्तर्गत आती है। शोधकर्ता को इस शोध में इन द्वितीयक आंकड़ों का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। वर्तमान अध्ययन में मानवाधिकरों के बारे में जानकारी, उनकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयेागिता तथा विभिन्न स्तरों पर मानवाधिकार अधिकारों की स्थिति का भली-भांती ज्ञान द्वितीयक आकड़ों से ही प्राप्त हुआ है। शोधकर्ता ने मावाधिकारों पर पहले से प्रकाशित पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं का गहन अध्ययन किया और अपने शोध में इन पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं में से निकट सम्बन्धित जानकारी को एकत्रित किया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट तथा पड़ौसी राज्यों के द्वारा समय-समय पर प्रकाशित रिपोर्ट से शोधकर्ता ने

मानवाधिकारों में आयोगों की भूमिका को रेखांकित करने का अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर प्रयास किया है।

1.2 मानवाधिकार : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास

1.2.1 धर्म और मानवाधिकार

मानव सभ्यता के शैशवकाल से ही अधिकारों और धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। यदि यह कहा जाए कि सभ्यता के इतिहास की कहानी मानव विकास की कहानी है। जिसमें मानवाधिकारों की उपस्थिति ने भी इस विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है तो काई अतिश्योक्ति नहीं होगी। मानवाधिकार ही मानव के सर्वांगीण विकास में महत्वपर्ण योगदान कर उसकों सही अर्थो में मानव बनाते है। मानवाधिकारों के बिना मुनष्य न तो अपनी प्रकृति-प्रदत्त क्षमताओं, प्रतिभाओं और अन्य स्वभाविक गुणों का विकास कर सकता है और न ही वह गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। मानवाधिकरों की अनुपस्थिति में किसी भी सभ्यता तथा संस्कृति के विकास की सम्भावना न के बराबर है। इसीलिए विश्व के सभी धर्म- ग्रन्थों में अनेक मानवाधिकारों का उल्लेख मिलता है। मानवाधिकारों की भाँति धर्म ने भी मानव सभ्यता को विकास की ऊँचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि धर्म की सही अर्थ में व्याख्या की जाए तो धर्म मनुष्य को अनेक प्रकार से अनुशासित कर उसकों शुद्धता, पवित्रता व उच्चता की ओर ले जाता है। धर्म भक्ति, योग, चिन्तन और साधना द्वारा मनुष्य को श्रेष्ठ पुरूष बनाकर ईश्वरीय सत्ता अथवा ब्रह्मस्य तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करता है।[19]

- **हिन्दू धर्म**- हिन्दू धर्म के शास्त्रों में धर्म और पाप के नाम पर अधिकार कर्तव्य की संरचना की गई है। ऋग्वेद में तीन सिविल अधिकारों की बात कही गई है। तन, स्कृधि और जीभासी। महाभारत में राज्य में व्यक्ति की

[19] डॉ. रामसिंह सैनी : समकालीन परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों के विविध आयाम, प्रथम संस्करण: 2007, गगनदीप पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. सं. 443

स्वतन्त्रता की बात कही गई है। ईसा से दूसरी शताब्दी से पूर्व भारतीय राज्यों में राजाओं का चुनाव होता था। अर्थशास्त्र में मनु के सिविल और कानूनी अधिकारों की विवेचना की गई है। जिनमें आर्थिक अधिकार भी सम्मिलित है। इनके अनुसार उनकी खुशी में ही उसकी खुशी है और उनके कल्याण में उसका कल्याण है।[20]

मानवाधिकार की अवधारणा : वाल्मीकि रामायण में कहा गया है-

यानि मिथ्याभिपूस्त्रानां पत्नथ्यस्याणि राद्‌यव।
तानि प्रत्रपशुन्ध्पून्ति प्रीत्यर्चमन शासतः।।

"हे राघव ! मिथ्या अपराधों के कारण दण्डित लोगों की आँखों से गिरने वाले आँसू अपने भोग विलास के लिए शासन करने वाले राजा के पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते है।"

(श्री भद्रालीकीय रामायणम्)

महाभारत में मानवाधिकार की व्याख्या -

"प्रिया प्रिये परित्यनाय समः सर्वेसु तन्त्रुषः।
काम क्रोधो य लौभ य मानं योत्सृत्य दूरत्रः।।"

अर्थात प्रिय-अप्रिय का परित्याग कर सभी प्राणियों में समभाव रख काम, क्रोध, लोभ व मान (अहं) का दूर से परित्याग कर इसी नीतिशास्त्र का पालन करें।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मानवाधिकार की बात उठाई गयी है। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रों जैसे बाईबिल, कुरान, जनवारता या बुद्ध धर्म की शिक्षाओं में भी मानव की परस्पर बराबरी भाईचारे, या मर्यादा का संकेत मिलता है। प्राचीन

---

[20] कौटिल्य, अर्थशास्त्र (इंग्लिश) 9-39 कौटिल्यार्थ शास्त्रम (संस्कृत) मैसूर विश्वविद्यालय (3 संस्करण, 1960), पृ. 42

पश्चिमी विचारकों में भी मानवीय, मर्यादा, सौहार्द एवं सुरक्षा के सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया गया है।[21]

रामायणकाल में रावण द्वारा जनक नन्दिनी जानकी का हरण उस काल की अद्वितीय घटना रही है। इस निन्दनीय घटना को रोकने में गिद्धराज जटायु को अपने प्राण देने पड़े थे। महाभारत काल में कौरवों और पाण्डवों की भरी सभा में दु:शासन का द्रोपदी के केशों को पकड़कर घसीसटे हुए सभा में लाना और वस्त्र उतारने का दु:साहस करना उस काल के इतिहास में नारी अपमान की सबसे बड़ी निन्दनीय घटना थी। ***"अग्रे कुरुवामथ पाण्डवानां, दु:शासनेवाहृत वस्त्रकेशा"*** जैसे हृदय-विदारक घटना को रोकने के लिए श्री कृष्ण चन्द्र जैसे अवतारी पुरूष ने परोक्ष रूप में नारी की लाज बचाई थी।[22]

धर्म के लक्षणों का महाभारत में भी सुन्दर वर्णन है। इसके अनुसार :

अक्रोध: सत्यवचनं संविभाग: क्षमा तथा।
प्रजन: स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एवं च।।
आर्जव भृत्यवरणं नवैते सार्ववर्णिका: [23]

शान्तिपर्व, अध्याय 60, श्लो. 7,8

किसी पर क्रोध न करना, सत्य बोलना, धन बाँट कर भोगना, क्षमा भाव रखना, अपनी ही पत्नी के गर्भ से सन्तान उत्पन्न करना, बाहर-भीतर से पवित्र रहना, किसी के प्रति द्रोह अर्थात द्वेष न रखना, सरल भाव रखना और भरण-पोषण योग्य व्यक्तियों का पालन करना- ये नौ सभी वर्णो के लिय उपयोगी धर्म (कर्तव्य) है।[24]

---

21 कैलाश नाथ गुप्त, डॉ. सरिता शाह, मानवाधिकार संघर्ष, सन्दर्भ एवं निवारक, प्रथम संस्करण, 2012, अभिव्यक्ति प्रकाशन, दिल्ली पृ.स. 14

22 शिवराजसिंह रावत नि: संग, मानवाधिकार संरक्षण : भारतीय संस्कृति की वैचारिक परम्परा, मानवाधिकार नई दिशाएँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वार्षिक अंक 4, वर्ष 2007, पृ. सं. 104

23 श्रीमन्यमहर्षि देवव्यास प्रणीत महाभारत, पंचम खंड (शन्तिपर्व) गीता प्रेस, गोरखपुर पृ. 2044

24 डॉ. रामसिंह सैनी : समकालीन परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों के विविध आयाम, गगनदीप पब्लिकेशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण : 2007, पृ. सं. 444

सभी भारतीय नागरिकों के लिये यह राष्ट्रीय गर्व की बात है कि हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों और धार्मिक पुस्तकों में मानवाधिकारों के विचारों को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में नागरिक की तीन स्वतंत्राओं "शरीर, रहने के लिए घर तथा जीवन का स्पष्ट रूप से उल्लेख" किया गया है तथा सभी मानवता से दूसरों की नागरिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की अपील की गई है। महाभारत के 'शान्ति पर्व' में भीष्म पितामह ने राजा के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है, सर्वोत्तम राजा वह है, जिसके विचारों में स्वतन्त्रता और प्रसन्नता ऐसे ही निवास करती है जैसे वे अपने पिता के घर में करते है। उन्होंने आगे इस बात पर भी जोर दिया है कि राजा का यह परम कर्तव्य है कि वह प्रजा के विचारों और खुशी की रक्षा करें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह विस्तार से अभिपुष्ट किया गया है कि मनु द्वारा मूल रूप से सूत्रबद्ध किए गए केवल नागरिक और कानूनी अधिकार ही नही है, बल्कि बहुत सारे आर्थिक अधिकारों को भी व्यक्त किया गया है।[25]

- **ईसाई धर्म** : ईसाई धर्म की मान्यताओं में अधिकार कर्तव्य की बात आती है। ईसाई धर्म ने जिस प्राकृतिक कानून को स्वीकार किया वह इस सिद्धान्त पर आधारित है कि प्राकृतिक कानून, धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही, व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार देते है। यह अधिकार दैवेय शक्ति और पूर्ण अध्यात्मवाद से प्राप्त होते है। प्राकृतिक कानून 'सर्वोपरि कानून' है जिसके द्वारा प्रत्येक सकारात्मक कानून, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विधियों को नापा जा सकता है। राज्य यदि इन कानूनों के विपरीत निर्णय लेते हैं तो वे सत्ता का दुरूपयोग करते है।

चर्च दर्शन में बार-बार ईसाई धर्म द्वारा मानवीय व्यक्तित्व को दी गई महत्ता पर बल दिया गया है। मनुष्य को सांसारिक क्रियाओं का केन्द्र बिन्दु ग्रीक दार्शनिकों ने बनाया। इन्ही सिद्धान्तों को चर्च के विद्वानों ने

[25] डॉ. कृष्ण मोहन माथुर, स्वातंत्रयोत्तर भारत में मानवाधिकार, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2000, पृ. सं. 15

स्वीकार किया और यह माना कि मनुष्य भगवान का ही स्वरूप है और इसीलिए ब्रह्माण्ड के सभी श्रेष्ठ गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। मानव अधिकार के दर्शन की रूपरेखा ईसाई धर्म ने ही बनाई जो बाद में चलकर मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र में बदलता परिवेश है।[26]

- **इस्लाम धर्म** : इस्लाम विचारधारा भी अपने उसूलों के नाम पर समाज को रास्ता दिखती रही है। अदब-अरे-रहमान-इब्न-अनीफ को सलाह देते हुए पैगम्बर ने कहा कभी भी किसी से विश्वासघात या द्रोह मत करो और न ही किसी का अंग भंग करो, न किसी बच्चे अथवा स्त्री की हत्या करों। यह खुदा और उसके पैगम्बर के बीच तुम्हारे दिशा-निर्देश के लिए एक समझौता है।[27] इस्लाम के अनुसार इन लोगों या इन वर्गो को जो अन्य प्राणियों से बेहतर स्थिति में है कम भाग्यशाली लोगों के प्रति न्याय और उदारता का भाव रखना चाहिए। जीवित प्राणी को मारना पवित्र कुरान और सुन्ना (पैगम्बर की प्रथाएं) द्वारा वर्जित है केवल राज्य या उसका प्रतिनिधि ही मनुष्य अथवा अन्य प्राणी की मृत्यू का निर्णय कर सकते हैं।[28]

- **बौद्ध धर्म** : कोई मनुष्य जन्म के आधार पर न तो शूद्र है न ब्राह्मण, वह शूद्र या ब्राह्मण अपने बुरे और अच्छे कर्मो के अनुसार है। यही नहीं, यदि कोई मनुष्य अपनी जाति, धर्म या उत्पति पर झूठा गर्व करता है और दूसरों को अपने से छोटा समझकर उनका अपमान करता है तो परिणाम-स्वरूप उसका जीवन में पतन होता है। बौद्ध धर्म में मनुष्य समस्या का केन्द्र है। गौतम बुद्ध के पांच सिद्धान्तों के मूल में मनुष्य और उसका

---

26 श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, मानव अधिकारों का प्राचीन स्वरूप : सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण, मानवाधिकार : नई दिशाई, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वार्षिक अंक-5, पृ. सं. 47-49

27 कोटड बाई डॉ. हमीदुल्ला, मुस्लिम कण्डक्ट ऑफ स्टेट, पृ. 306

28 श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, मानव अधिकारों का प्राचीन स्वरूप : सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण, मानवाधिकार : नई दिशाएँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वार्षिक अंक 4, पृ. सं. 47-48

भौतिक संसार है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मानव अधिकार की विवेचना चौदहवें दलाई लामा ने 1959 में की जिसे मानव अधिकार की प्रार्थना की संज्ञा दी गई है।[29]

- **जैन धर्म** : जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं में मानव समुदाय के कल्याण की भावना रही है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पाँच महाव्रतों की 24 रेखा समाज के समक्ष रखी है। इनमें महावीर स्वामी संसार के सभी जीवों और विशेष कर मानव के विरूद्ध हिंसा के घोर विरोधी थे और जैन धर्म के आगम ग्रंथों में महिला शिक्षा, छुआछूत का विरोध, जीयो और जीनों दो का संदेश दिया गया है और जैन धर्म के अनुयायी वर्तमान समय में अनेक मानवीय नियमों का पालन करते है और ये सभी वर्तमान में मानवाधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित है।

1.2.2 अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार का विकास

1.2.2.1 इंग्लैड में मानवाधिकारों का विकास[30]

1. **मेग्नाकार्टा घोषणा पत्र :** 12वीं शताब्दी में जॉन इंग्लैण्ड की राजगद्दी पर बैठा। सामंतों ने इस अयोग्य, अदूरदर्शी और अत्याचारी शासक के अत्याचारों से दुखी होकर उसके विरुद्ध विद्रोह का रूप धारण किया। अत: 15 जून, 1215 में जनता ने उसे टैम्स नदी के रेनीमेड नाम के टापू पर घेर कर जनता ने मैग्नाकार्टा पर हस्ताक्षर करवाये जो ब्रिटेन में लोकतंत्र की आधारशिला है। यह महान अधिकार पत्र ब्रिटेन के वैधानिक इतिहास में एक महान सीमा चिन्ह माना जाता है। मैग्नाकार्टा ने किन्हीं नवीन अधिकारों को जन्म देने के बजाय उन परम्परागत अधिकारों को मान्यता प्रदान की जिन्हें राजा जॉन, ने भंग कर दिया था। मैग्नाकार्टा ने सामंत

---

[29] एम.जी.चिटकारा, ह्यूमनराईट्स कमीटमैंट एंड बीट्रेयल, ए.पी.एच. पब्लिसिंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली 1996 पृ0 24-25

[30] डॉ. शिवदत्त शर्मा, मानव अधिकार, विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2006, पृ. सं. 5

वर्ग को जो अधिकार दिए धीरे-धीरे वह सामान्य जनता को भी प्राप्त हो गए। इस प्रकार मैग्नाकार्ट नेराजा की निरंकुशता का अन्त कर एक मर्यादित राजतंत्र तथा विधि के शासन की स्थापना की और यह सामान्य जनता की स्वतंत्रता और अधिकार का मूल आधार बन गया। इस महान अधिकार पत्र (मैग्नाकार्टा) के मुख्य उपबंध निम्न थे-

- महान् परिषद् अर्थात मैग्नम कौसिलियम की सम्मति पर ही राज सामंतों पर कर आरोपण करें।
- किसी नागरिक को उस समय तक बंदी न बनाया जाए और न ही उसको निर्वासित किया जाए जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए।
- किसी व्यक्ति का उसकी स्थिति एवं अपराध की मात्रा के अनुरूप ही दंड दिया जाय जिससे यह अर्थ दंड नितांत स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए।
- 'कोर्ट ऑफ दी कामन प्ली' एक सुनिश्चित स्थान पर कार्य करें, न कि राजा के साथ स्थान-स्थान पर दौरे करें
- राजा चर्च के संगठन और उसके अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप न करें।
- प्रभावशाली सामंतों और पादरियों को महान् परिषद् में अवश्य नियंत्रित किया जाए।
- विदेशी व्यापारियों के देश में स्वतंत्र विचलन पर केवल युद्ध काल में ही प्रतिबंध हो, अन्यथा उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक देश में आने-जाने की आज्ञा हो।
- सम्पूर्ण राज्य में तौल के एक ही पैमाने का प्रयोग किया जाए।

यद्यपि मैग्नाकार्टा ने नागरिक स्वतंत्रता के लक्षण और पुष्टीकरण के लिये कोई व्यवस्था नहीं कर, जनता को राजा के नियंत्रण से मुक्ति दिलाई। परन्तु फिर भी इस मौलिक तथ्य रचना के अनुसार राजा को कुछ आवश्यक विधियों के अधीन रहना चाहिये और यदि राजा उनका उल्लंघन करे तो प्रजा को यह अधिकार है कि वह राजा को विधि मानने के लिये बाध्य कर सकती है।

संवैधानिक और सीमित राजतंत्र के विकास की दिशा में मैग्नाकार्टा पहला कदम था तथा मानवाधिकार संघर्ष के इतिहास में संभवत: सबसे पहली और बड़ी व महत्वपूर्ण घटना थी। इसी संदर्भ में आगे 1679 में बन्दी प्रत्यक्षीकरण एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया तथा साथ ही ब्रिटेन में विधि का शासन स्थापित किया गया।[31]

1.2.2.2 संयुक्त राज्य अमेरिका में मानवाधिकार का विकास

अमेरिका अधिकार घोषणा पत्र

अमेरिकी जनता को ब्रिटेन के अत्याचारों का कटु अनुभव था इसीलिये वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी उपनिवेशों ने जनता के अधिकारों के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग की तथा ब्रिटेन के साथ संघर्ष किया। उस समय के 13 राज्यों की मांग थी "प्रतिनिधित्व नहीं तो टेक्स नहीं" - ब्रिटेन ने कठोरता के साथ अमेरिकी जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया लेकिन जब यह मांग स्वीकार नहीं की गई तो 1776 में स्वाधीनता का घोषणापत्र प्रकट हुआ- उसमें कहा गया था कि जन्म से सब मनुष्य बराबर हैं। सृष्टी ने इन्हें कुछ अधिकार दिये हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्ति के लिये प्रयत्न करने का अधिकार है और अधिकारों की रक्षा के लिये ही सरकारों की स्थापना होती है। जब कोई शासन निरंकुश हो जाये तो लोगों को अधिकार है कि उसे समाप्त कर दे।

1789 में अमेरिका के संविधान को प्रवर्तित कर दिया गया और दो वर्ष बाद 1791 में बिल ऑफ राईट्स जोड़ दिये गये, जिनके अन्तर्गत संविधान द्वारा अमेरिका की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को परिसीमित शक्तियाँ प्रदान की गई तथा इन पर दो प्रकार की सीमाएँ लगाई गई।

न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देकर मानवाधिकार का रक्षा कवच बनाया गया। इस प्रकार बिल ऑफ राईट्स के अन्तर्गत निम्न अधिकार दिये गये-

---

[31] प्रो. आर.पी. जोशी, मानवा अधिकार एवं कर्तव्य, अभिनव प्रकाशन, अजमेर, प्रथम संस्करण : 2006, पृ. सं. 94-95

- धर्म, भाषण प्रेस की स्वतंत्रता
- शस्त्र रखने और धारण करने का अधिकार
- व्यक्ति को स्वयं की अपने घर तथा सामान की अनुचित तलाशी से स्वतंत्रता
- निष्पक्ष न्याय और सम्पत्ति के अधिकार की व्यवस्था
- व्यक्ति को अत्यधिक जुर्माने व अत्यन्त कठोर दंड से सुरक्षा।
- दासता का निषेध तथा राज्यों द्वारा जाति व रंगभेद के आधार पर नागरिकों को अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त होगा।[32]

1.2.2.3 फ्रांस में मानवाधिकारों का विकास

फ्रांस में निरंकुश तन्त्र के विरोध में निरन्तर जनता के संघर्ष ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजतन्त्र सन् 1789 में अस्त हो गया। क्रांति की समाप्ति के बाद फ्रांस की जनता को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। इनके अन्तर्गत महिला और पुरुष को समान अधिकार, विभेद का अंत, संगठन बनाने का अधिकार, काम और नियोजन का अधिकार, प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार, राष्ट्रीय सम्पत्ति का सामूहिक अधिकार, व्यक्तिगत और पारिवारिक विकास का अधिकार, माताओं, बच्चों और वृद्धजनों के कल्याण तथा आर्थिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय आपदा के समय समता का अधिकार, शान्ति और रक्षा का अधिकार तथा उपनिवेशवाद के अन्त का अधिकार आदि की घोषणा की गई। इन अधिकारों को वर्तमान में फ्रांस गणतन्त्र के संविधान 28 सितम्बर, 1946 में भी उपयुक्त स्थान दिया गया है।[33]

---

32 प्रो. आर.पी. जोशी, मानव अधिकार एवं कर्तव्य, अभिनव प्रकाशन, अजमेर, प्रथम संस्करण : 2006, पृ. सं. 95

33 फ्रांस गणतंत्र का संविधान, 1946, उद्देशिका एवं अनुच्छेद-2

1.2.2.4 सोवियत संघ में मानवाधिकारों का विकास

सोवियत संघ की वर्ष 1917 की क्रान्ति के उपरान्त मानवाधिकारों के विकास का क्रम वहां निरन्तर रूप से संविधान के सृजन पर प्रतिबिम्बित होता रहा है। यह क्रम 1918, 1924, 1936 और 1977 तक चलता रहा। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण नवीन संविधान का सृजन हुआ। इस संविधान के भाग-9 में व्यक्ति की सांविधानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार और स्वतंत्रताएँ और मूल दायित्व सभी नागरिकों के लिए समान हैं। उत्पादन के साधनों तथा सार्वजनिक सम्पत्ति के उपयोग के लिए सभी नागरिक समान हैं। सभी नागरिकों को भौतिक और सांस्कृतिक सम्पदा का उपयोग करने, अपना शिक्षा स्तर ऊंचा उठाने, सार्वजनिक, राजनैतिक जीवन में भाग लेने के समान अवसर प्राप्त हैं। संविधान में कहा गया है कि सोवियत नागरिकों के अधिकार, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान हैं।[34]

सोवियत संघ में समता का अधिकार के अन्तर्गत महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। श्रमिक महिलाऐं तथा उनके शिशुओं के लिए विशेष व्यवस्था है।[35] जनप्रतिनिधियों के रूप में सोवियत संघ में महिलाओं की संख्या काफी है। सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत में 487 महिलाऐं हैं। संघ जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियतों में 2417, स्वायत्त जनतंत्रों की सोवियतों में 1382 तथा स्थानीय सोवियतों में 10 लाख से भी अधिक महिलाऐ हैं।[36] सोवियत संघ के संविधान में काम पाने का अधिकार[37] विश्राम का अधिकार[38], स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार, भरण-पोषण पाने का

---

[34] सोवियत संघ का संविधान, 1977 का अनुच्छेद 34 : अब सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् वहां पर नवीन संविधान प्रवर्तन में हैं।

[35] अनुच्छेद 35

[36] बोरीस तोपोर्नीन, सोवियत संघ का नया संविधान, पृ. सं. 159

[37] अनुच्छेद 40

[38] अनुच्छेद 41

अधिकार[39], आवास पाने का अधिकार[40], शिक्षा पाने का अधिकार[7] सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक सृजन राजकीय और सार्वजनिक मामलों के संचालन का अधिकार सार्वजनिक, संगठनों में सम्मिलित होने का अधिकार अन्त:करण की स्वतन्त्रता[8] आदि का उललेख होने के साथ-साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख है।[41]

1.2.2.5 कनाडा में मानवाधिकारों का विकास

उन्नीसवीं शताब्दी में कनाडा की शासन पद्धति को संचालित करने के लिए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, 1867 पारित किया गया। इस अधिनियम में कनाडा के लोगों के लिए मानवाधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता के उपबंधों को ब्रिटेन में प्रभावी विधि के सामान्य सिद्धान्तों से ग्रहण किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य विधायी कार्यों पर प्रतिबंध लगाना था। यदि विधायिका व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाली किसी विधि का सृजन करती थी तो विधायिका को रोकने की कोई व्यवस्था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, 1867 में नहीं थी।[42] यह व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध तक चलती रही।

द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रभाव ने विश्व के निवासियों को व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के बारे में विचार करने के लिए विवश कर दिया। विवशता की सीमा से कनाड़ा भी अछूता नहीं रह पाया। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 का प्रभाव कनाड़ा पर पड़ा और सन् 1960 में "कनेडियन बिल ऑफ राईट्स" पारित किया गया। इस "बिल ऑफ राईट्स" में व्यक्तियों के लिए विधि के समक्ष समता, धर्म, अभिव्यक्ति, संगम, संगठन और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है।[43] "कनेडियन बिल ऑफ राईट्स" से व्यक्तियों की सिविल स्वतंत्रताओं का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि यह स्वतंत्र उपनिवेश की साधारण विधि थी।

---

[39] अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 क्रमश:

[40] अनुच्छेद 44

[41] डॉ. शिवदत्त शर्मा, मानव अधिकार, विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण : 2006, पृ. सं. 6-7

[42] तरनोपोलस्की, कनेडियन बिल ऑफ राईट्स (1975), पृ. 3

[43] दुर्गादास बसु ह्यूमन राइट्स इन कांस्टिट्यूशनल लॉ, 1994, पृ. सं. 14

इस सम्बन्ध में कनाड़ा के उच्चतम न्यायालय द्वारा **रोबर्टसन बनाम आर**[44] **तथा आर बनाम ड्राबोनेस**[45] वाले मामलों में जो मत अपनाया गया वह एक दूसरे के विपरीत था। प्रथम मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि "कनेडियन बिल ऑफ राईट्स" के विरोध में कनाडा उपनिवेश की संसद् कोई विधि पारित करती है, तो उच्चतम न्यायालय इस विधि को "बिल ऑफ राईट्स" के प्रतिकुल घोषित नहीं कर सकता है। सन् 1960 के बाद वहां की संसद ने ऐसी विधि पारित की थी। इसके विपरीत ड्राबोनेस के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुमत से अभिनिर्धारित किया गया कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह "बिल ऑफ राईट्स" के प्रतिकूल किसी भी विधि को अविधिक घोषित कर सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सिविल और राजनैतिक अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 पारित होने पर कनाडा ने इसको सन् 1977 में अंगीकार किया।[46] इसके प्रभाव के कारण कनाडा ने सन् 1977 में "कनेडियन ह्यूमन राईट्स" अधिनियम पारित किया, लेकिन इस अधिनियम के उपबन्ध भी मानवाधिकारों को संरक्षित रखने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं बना पाए, क्योंकि यह कनाडा की संसद द्वारा ही पारित अधिनियम था। परिणामस्वरूप सन् 1982 में 'कनाडा' अधिनियम 1982 पारित किया। यह कनाडा का सांविधानिक अधिनियम है। इसके प्रथम भाग में कनेडियन चार्टर ऑफ राईट्स एण्ड फ्रीडम का उल्लेख है इस अधिनियम का स्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, 1867 के समान ही था।[47] कनाडा में इस विधि के प्रवर्तन के बाद इसको सर्वोच्च माना गया है तथा इसकी धारा 52(1) के अनुसार इसके विरोधात्मक तथा असंगत विधियां को धारा-1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए

---

44 (1963) एस.सी.आर. 651 (कनाडा)

45 (1970) एस.सी.आर. 282 (कनाडा)

46 री मिचेल, (1983) 150 डी.एल.आर (तृतीय संस्करण) 449

47 दुर्गादास बसु, ह्यूमन राईट्स इन कांस्टिटयूशनल लॉ, 1994, पृ. सं. 15

उच्चतम न्यायालय ने अविधिक बताया[48] सम्प्रति कनाडा अधिनियम, 1982 के अंतर्गत "बिल ऑफ राईट्स" 1960 के स्वर में ही मानवाधिकारों को संरक्षा दी गई है और ये वहाँ प्रभावी हैं। कनाडा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित अन्तरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा, 1966 का प्रभाव मानवाधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए पड़ा था। भारत में यद्यपि संविधान के भाग 3 व 4 में मानवाधिकारों को सांविधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन मानवाधिकारों की संरक्षा के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 कनाडा की तर्ज पर ही पारित किया गया है।

1.2.2.6 विश्व के अन्य देशों में मानवाधिकारों की स्थिति

वर्तमान युग में विश्व के समस्त लोकतंत्रात्मक गणराज्यों में मानवाधिकारों का उल्लेख है। चीन के गणतंत्रात्मक संविधान के अध्याय तीन में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही वहां के नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी प्राप्त है।[49] लोकतंत्रात्मक गणराज्य जर्मनी के संविधान में भी लोगों की स्वतंत्रता तथा अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह लगभग विश्व के अन्य देशों में भी मानवाधिकारों का उपबंध कमोवेश वहां के संविधानों में किया गया है।[50]

1.2.2.7 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अधिकार

भारत में स्वतंत्रता संग्राम भी मानवाधिकारों के संघर्ष की एक गौरवमय कहानी है। तिलक ने अधिकारों की मांग करते हुए कहा "स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है हम इसे लेकर रहेंगे।" इसी समय गांधी जी का एक मसीहा के रूप में प्रवेश हुआ। उन्होंने कहा कि सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं है। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों

---

48 आर बनाम मानियन (1986) 31 डी.एल.आर. 412

49 चीन के गणतंत्रात्मक संविधान में अनुच्छेद 86 (2), 91, 93 और 96 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

50 डॉ. शिवदत्त शर्मा, मानव अधिकार, विधि साहित्य विधायी विभाग, प्रकाशन नई दिल्ली, प्रथम संस्करण : 2006, पृ. सं. 8-9

पर लगातार अत्याचार किये जाते रहे। शासन के अधीन भारतीयों को न तो कोई अधिकार थे न कोई स्वतंत्रता। इन्हें अपने देश में भेदभाव पूर्ण व्यवहार सहना पड़ता था इसी कारण भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय हुआ आंदोलन के प्रारम्भ में अधिकार प्रदान कराने पर विशेष बल दिया गया परन्तु ब्रिटिश शासकों ने इसे दमनतापूर्वक दबाने का प्रयत्न किया। जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग तीव्र हो गई और स्वतंत्रता सम्पत्ति और समानता के अधिकार की मांग की गई। 1918 में मुम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसमें यह मांग रखी कि ब्रिटिश सरकार भारतीय बिल में ब्रिटिश नागरिकों के समान अधिकार प्रदान करने की घोषणा करें। इसी के साथ दिल्ली अधिवेशन में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग रखी। 1927 में भावी संविधान के लिए मौलिक अधिकारों की घोषणा की मांग रखी।

1.4 मानवाधिकार का ऐतिहासिक घटनाक्रम[51]

क्र. सं.	साहित्य	प्रेरक प्रतिपादक	देश	काल	अभिधारधाएँ/आधार तत्व
1.	पूर्व विधान पवित्र बाइबिल	मोजेज (सामान्य रूप से स्वीकृत)	-	1921 ईसा पूर्व	व्यक्तिवाद, भू-मण्डलीय समुदाय की संकल्पना, व्यक्ति की, मुक्ति, शान्ति, ईसाई धर्म की अन्तर्निहित शक्ति, नीति शास्त्र, नैतिक मूल्य, सेवा, अनुकूलन प्रेम, शत्रु इत्यादि
2.	वेद	अपौरेष्य	भारत	1500-1000 ईसा पूर्व	धर्म, संस्कार, स्त्रोत, औषधियाँ के विषय में ज्ञान, राजाओं और प्रजा-जनता के कर्तव्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद
3.	रामायण	वाल्मीकि	भारत	1500 ईसा पूर्व लगभग	धर्म परायणशाला की अद्‌वितीय भूमिका, मानव, व्यक्तिव, प्रेम, शान्ति, अहिंसा, आवश्कताओं से मुक्ति, नैतिकता, सेवा का मूर्ति रूप इत्यादि

[51] प्रदीप त्रिपाठी, मानवाधिकार और भारतीय संविधान, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली-2, प्रथम संस्करण : 2002, पृ. सं. 33-41

क्र. सं.	साहित्य	प्रेरेक प्रतिपादक	देश	काल	अभिधारधाएँ/आधार तत्व
4.	महाभारत	वेदव्यास	भारत	1000 ईसा पूर्व लगभग	जीवन संहिता, समाज का दर्शन, नैतिक सम्बन्ध, मानव समस्याएँ
5.	भागवद्गीता	भगवान कृष्ण के उपदेश	भारत	700 ईसा पूर्व लगभग	अर्जुन को भगवान कृष्ण के उपदेश, शौर्य मानवीय भावनाएँ इत्यादि
6.	जैन धर्म	वर्धमान महावीर	भारत	599 ईसा पूर्व	महवीर जैन सम्प्रदाय के अन्तिम तीर्थकर थे। उनके उपदेश अहिंसा और ऐकेहवाद के पथ है। वह बलि और धार्मिक संस्कारों के ऊपर अपव्यय के विरोधी थे।
7.	बौद्ध धर्म	गौतम बुद्ध	भारत	550 ईसा पूर्व	अहिंसा के मार्ग का उपदेश दिया, मूर्ति पूजा के विरूद्ध सरलता का प्रचार किया, नैतिकता का अष्ट मार्ग
8.	प्राकृतिक कानून का	हेरा क्लिट्स	यूनान	530 ईसा पूर्व	प्राकृतिक कानून के दर्शन के संस्थापक। उसके चिन्तन के नैतिक अथवा राजनीतिक पक्ष पर विचार करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनकों सिद्धान्तबद्ध किया।
9.	दर्शन शास्त्र	सुकरात	यूनान	470 ईसा पूर्व	एक महान चिन्तक, और सत्य का खोजकर्त्ता, वस्तुओं का स्वरूप क्यों और कैसे, नैतिक मूल्य उन्होने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित व्यावहारिक नैतिकता पर बल दिया। उनके अनुसार 'सदगुण ज्ञान' है ओर जो ज्ञान नही है, मनुष्य के पाप अच्छाई-बुराई, नैतिक नियम इत्यादि।
10.	नैतिक मूल्य नीति शास्त्र	सोफिस्ट	यूनान	450 ईसा पूर्व	मनुष्य की अच्छाई-बुराई नैतिक नियमों में अर्न्तदृष्टि। कानून के पालन के लिए कारणों का निर्धारण किया, राज्य, समाज, प्राकृतिक कानून और कानून के सिद्धान्त का विकास किया।

क्र. सं.	साहित्य	प्रेरक प्रतिपादक	देश	काल	अभिधारधाएँ/आधार तत्व
11.	दर्शन शास्त्र	प्लेटो	यूनान	427 ईसा पूर्व	सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। न्याय मनुष्य के आन्तरिक जीवन का सौन्दर्य है ओर सौन्दर्य न्याय का गुण है। और यह आकांक्षाओं पर तर्क और बुद्धि द्वारा प्राप्त होता है।
12.	दर्शन शास्त्र	अरस्तु	यूनान	384 ईसा पूर्व	राज्य, समुदाय, कानून का उद्देश्य मनुष्य को सद्जीवन अर्थात् गुणों के अनुसार जीवनयापन प्राप्त करने योग्य बनाता है।
13.	स्टोइक और प्राकृतिक कानून	जैनो	यूनान	350-260 इस पूर्व	विश्व के समस्त भाग विवेक द्वारा शासित है। मनुष्य विश्वव्यापी प्रकृति का एक भाग है और विवेक द्वारा शासित है। "प्रकृति के अनुसार जीवन यापन करो"।
14.	अर्थशास्त्र	कौटिल्य अथवा चाणक्य	भारत	326 ईसा पूर्व	उसके कानून और सरकार के सिद्धान्त, राजा के अपने दैनिक विशेषाधिकार की अपेक्षा जनता के प्रति कर्तव्यों पर आधारित किए, शासन कला के प्रवर्तक।
15.	विधिक दर्शन शास्त्र	माक्र्स टुलियस सिसरो	यूनान	104-43 ईसा पूर्व	सच्चा कानून प्रकृति के सहमति में उचित विवेक है इसको विश्व स्तर पर संयुक्त किया जाता है, अपरिवर्तनशील और शाश्वत है डेली गिहस।
16.	रोमन कानून	गैयस उलपियन पौउलस इत्यादि	यूनान	प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व	प्राकृतिक कानून, प्रकृति कानून निश्चित अपरिवर्तनीय समस्त मानव कानूनों से अपेक्षाकृत ऊँचा, उचित विवेक के निर्देशों से उद्धृत है। मानव कानून स्थानीय एवं विदेशियों दोनों के लिए समान कानून है, नागरिक कानून केवल रोमवासियों के लिए विशेष कानून।

क्र. सं.	साहित्य	प्रेरक प्रतिपादक	देश	काल	अभिधारधाएँ/आधार तत्व
17.	नव-विधान पवित्र बाइबिल	भगवान ईसा मसीह लैन्ट मैम्यू मैन्टल्यूक इत्यादि	बैथल हेम	पहली शताब्दी ईस बाद	अपने शत्रु से प्रेम करों, धर्म परायणता क्षमाशीलता मांगो और तुमको दी जाएगी, खोज करो और तुमकों मिल जायेगा, दस्तक दो और यह तुम्हारे लिए खोल दिया जायेगा, सहिष्णुता, प्रेम मानवीय उपदेश, मानवजाति के लिए जीवन का प्रकाश इत्यादि
18.	तिरूक्कुरल	थीरूवल्लुवर	भारत	पहली शताब्दी ईसा बाद	सबसे लिए नैतिक कर्तव्य समस्त अधिकार अर्थात् नागरिक राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक, संहिताकरण, कर्तव्य इत्यादि।
19.	याइयवल्वय और नारद स्मृति		भारत	100-400 ईसा बाद	हिन्दू कानून, पाण्डू लेखन के नियमों, वकालत करना, प्रक्रिया और न्यायिक आचरण की अधिकृत कृतियाँ
20.	पवित्र कुरान	इपस्सिमा ईश्वर स्वयं के शब्द पैगम्बर मोहम्मद	मक्का और मदीना	571-614 ईसा बाद	प्रार्थना, परोपकार का अभ्यास (जकात) व्रत (रमजान) मक्का की तीर्थ यात्रा (हज) दया, और सहानुभूति।
21.	मेग्नाकार्टा	राजा जॉन	इंग्लैण्ड	2015 ईसा बाद	इंग्लैण्ड की जनता की स्वतंत्रताओं का पहला मील का पत्थर स्वतंत्रता का महान शासन पत्र।
22.	प्राकृतिक कानून का कैथोलिक सिद्धान्त	सेन्ट थामस एक्विनास	ब्रिटिश	1225-1274 ईसा बाद	शाश्वत कानून दैविक ईश्वर की योजना है और यह पूर्ण तथा सम्पूर्ण है। रोमन कानून, केलेक्स, मानवता से लबालब भरा हुआ है।1 सम्मानपूर्वक जीवन यापन, 2. किसी को चोट नहीं पहुचाना, 3. प्रत्येक व्यक्ति को उसका श्रेय देना, यथार्थ में शान्ति।
23.	सिक्ख धर्म	गुरू नानक 1469-1539 ईसा पूर्व	भारत	1500 ईसा बाद	एक ईश्वर है। यह सर्वोच्च सत्य है। वह सृष्टिकर्ता एवं सर्वव्यापक है। वह शाश्वत है और सर्वत्र विद्यमान है एकेश्वरवाद।

क्र. सं.	साहित्य	प्रेरक प्रतिपादक	देश	काल	अभिधारधाएँ/आधार तत्व
24.	पुनरूत्थान और धर्म सुधार		जर्मन	1517 ईसा बाद	पुनरूत्थान वीरोचित दृष्टिकोण है जो मानव समुदाय को अधिकारों को बहन करने के उत्तरदायित्वों की सामर्थ्य है सुधारकों का दृष्टिकोण अन्त:करण का प्रयोग विद्रोह करने के एक व्यक्ति के अधिकार की स्थापना।
25.	प्राकृतिक कानून	ह्यूगो ग्रोशियस प्रकृति कानून का जनक	हालैंड	1583-1645 ईसा बाद	राष्ट्रों के मध्य सामान्य सिद्धान्तों का उल्लेख क्योंकि प्राकृतिक कानून धार्मिक पूर्व धारणाओं से मुक्त है, जिसका चरमोत्कर्ष प्राकृतिक कानून को धर्म निरपेक्ष बनाने में हुआ। कार्यात्मक प्राकृतिक कानून।
26.	प्राकृतिक कानून	थामस हाब्स	इंग्लैण्ड	588-1679 ईसा बाद	प्राकृतिक कानून के अनिवार्य विषय के रूप में शान्ति बनाए रखने के लिए यथोचित बनाए रखने के सिद्धान्त
27.	प्राकृतिक कानून	जान लोक	इंग्लैण्ड	632-1704 ईसा बाद	शासितों की सहमति पर आधारित सरकार स्थापित करने के लिए परिवर्तन और क्रान्ति के यन्त्र के अनुरूप प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया
28.	प्राकृतिक कानून	जीन बैक्स रूसो	फ्रांस	1712-1778 ईसा बाद	मौलिक स्वतन्त्रता, समानता और स्वतन्त्रता जो प्राचीन समाजों में विद्यमान थे, आधुनिक सभ्यता में विलुप्त हो गये।
29.	नीति शास्त्र	जैरेमी बैन्थम	ऑक्स फोर्ड वि.वि. इंग्लैण्ड	1748-1832 ईसा बाद	मनुष्यों और नागरिकों की घोषणा की प्रस्तावना है कि अज्ञानता, उपेक्षा, मानवाधिकारों की मान हानि सार्वजनिक दुर्भाग्य और सरकारों का भ्रष्टाचार के मूल कारण है। मनुष्य के अधिकारों पर थामस पेन का अनुवाद पृष्ठ 94

क्र. सं.	साहित्य	प्रेरक प्रतिपादक	देश	काल	अभिधारधाएँ/आधार तत्व
30.	अमेरिका की क्रान्ति	सैमुआ एडमस थामस जैफरसन जार्ज वाशिंगटन	अमेरिका	1775-1781 ईसा बाद	प्राकृतिक कानून की संकल्पना का घोषणा पत्र
31.	फ्रांस की क्रान्ति	अधिकारों का विधेयक	फ्रांस	1789 ईसा बाद	व्यक्तिवाद के साथ साथ बुद्धिवाद और उग्र सुधारवाद जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त के विशिष्ट चिन्ह है।
32.	न्याय शास्त्र का क्षेत्र	जॉन आस्टिन	वि.महा. लंदन	1790-1859 ईसा बाद	"राष्ट्र के कानून" विज्ञान और कानून को निर्धारित किया और विशेषता व्यक्त की।
33.	दास प्रथा का उन्मूलन	अब्राहम लिंकन	अमेरिका	1809-1864 ईसा बाद	दास प्रथा के विरूद्ध संघर्ष किया और देश की एकता के लिए कार्य किया
34.	मार्क्सवाद	कार्ल माक्र्स	जर्मनी	1748 ईसा बाद	व्यक्तियों के वर्गो की अवहेलना करते हुए उनको अधिकार और स्वतंत्रताऐं स्वीकृत की जानी चाहिए। दास कैपिटल प्रकाशित हुआ जिसके सिद्धान्तों का रूस की क्रान्ति के रूप में चरमोत्कर्ष हुआ।
35.	स्वतंत्रता की उपयोगिता	जान स्टुअर्ट मिल	इंग्लैण्ड	1880 ईसा बाद	बौद्धिक स्वतन्त्रता समुदाय के लिए स्वतन्त्र भाषण की उपयोगिता, व्यक्तिगत मानवाधिकार
36.	रूस की क्रान्ति	ब्लादिमीर लेनिन	रूस	1717 ईसा बाद	श्रम और वेतन के समान वितरण पर आधारित नए समाज की स्थापना, एक वर्गहीन समाज।
37.	व्यक्तिवाद का सिद्धान्त	इमाल्लूएल कान्ट		1924 ईसा बाद	अन्तिम प्रभावशाली दार्शनिक और प्राकृतिक कानून का सिद्धान्त का मसीहा।
38.	श्वेत अथवा श्यामवर्णय समस्त व्यक्तियों की समानता	मार्टिन लूथर किंग	अमेरिका	1929 ईसा बाद	नोबल पुरूस्कार से सम्मानित जिसने दास प्रथा और जातिगत भेदभाव के विरूद्ध संघर्ष किया। अहिंसा के मार्ग को स्वीकार किया।
39.	प्रत्यक्षवाद	मान्टेस्क्यू	फ्रांस	19वीं	मानवाधिकार का स्त्रोत विधायी विधि

क्र. सं.	साहित्य	प्रेरक प्रतिपादक	देश	काल	अभिधारधाएँ/आधार तत्व
		आगस्ट काम्टे		शताब्दी	निर्माण और कानून सम्बद्ध स्वीकृतियाँ हैं।
40.	जर्मन स्वच्छंदता वादी सिद्धान्त			19 वीं शताब्दी	उम्र व्यक्तिवाद के लिए अपवाद और अधिकारों के विषय में फ्रांसीसी विचारों का नकारात्मकवाद मानवाधिकारों की सकारात्मक स्वतन्त्र घोषणा पत्र/संक्रांति काल अन्तिम चरण प्राकृतिक अधिकारों से मानवाधिकार/ वास्तविक अर्थ के विषय में खोज केवल वर्गीकरण करना है।
41.	समाज के विकास और परिवर्तन के सिद्धान्त	सर हेनरी मेन	इंग्लैण्ड	1822-1888 ईसा बाद	राज्य से व्यक्तिगत स्तर तक संविदा के परिवर्तन कर्तव्य से अधिकार के प्रति एक आन्दोलन है जिसका चरमोत्कर्ष फ्रांस की क्रांन्ति और मनुष्य और नागरिकों के अधिकार की घोषणा मानव शास्त्रीय अध्ययन।
42.	अहिंसा अस्पृश्यता	महात्मा गांधी	भारत	1869-1948 ईसा बाद	अपने देशवासियों की दासता, उत्पीड़न, शोषण, भेदभाव और अमानवीय व्यवहार से मुक्ति के लिए अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग ग्रहण किया समस्त मानव समुदाय को मौलिक अधिकारों के पुनरूत्थान की वकालत/अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रेरित किया।
43.	विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद	प्रों. एथ. एल.ए. हार्ट	प्रधाना ध्यापक ब्रेसीनो, महा.ऑक्स फोर्ड	1907 ईसा बाद	हार्ट का प्रत्यक्षवाद नया पुनर्जीवन है, कानून एवं समाज के मध्य सम्बन्ध कानून उत्पीड़न और नैतिकता का ज्ञान भिन्न है लेकिन सामाजिक तथ्य से सम्बन्धित है। आदेश धमकियां अभ्यस्त आज्ञापालन इत्यादि से समर्थित।
44.	जाति (रंग) पर	नेल्सन मंडेला	दक्षिण	1909	प्रजाति पार्थक्य अर्थात् जाति (रंग)

क्र. सं.	साहित्य	प्रेरक प्रतिपादक	देश	काल	अभिधारधाएँ/आधार तत्व
	आधारित भेदभाव का उन्मूलन		अफ्रिका	ईसा बाद	मत, भेदभाव के विरूद्ध कठोर संघर्ष किया।
45.	स्वत्वबोधक व्यक्तिवादी सिंद्वानत	सी.बी. मैकफर सन			हाब्स और लॉक की प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पनाएं कालान्तर में उदारवादी परम्परा अवधारणाओं के कारण आधुनिक युग में स्वीकार्य नहीं है।
46.	लोकतंत्र एवं मानवाधिकार पुन: स्थापन समर्थन	आंगसैन स्यूकी	म्यॉमार	-	लेकतंत्र और देश की जनता को मानवाधिकार पुनस्र्थापना के लिए कठोर संघर्ष
47.	यू.डी.एच आर.	संयुक्त राष्ट्र शपथपत्र		1948	समस्त व्यक्तियों को समाज में प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन के मौलिक अधिकार मिलने चाहिए।
48.	भारत का संविधान	संविधान सभा	भारत	1950	जनता को मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के रूप में विशेष प्रावधान है।
49.	मानवाधिकार सिद्वान्त	जैक्स कार्नेलियस मर्फी इरनाम मान्टलेगर		20 वीं शताब्दी	1. विशेष कानून द्वारा मानवाधिकारों की वैधता स्थापित की गई है। मनुष्यों की अन्तर्निहित प्रतिष्ठा पर्याप्त नहीं है अस्तु पूर्ण संकल्पना ने न्यायिक स्वरूप प्राप्त कर लिया है। 2. मध्यवर्गीय विधि प्रणाली में मानवधिकार के विषय में कानून की दो शाखाओं अर्थात् संवैधानिक और अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा व्यापक व्यवहार प्राप्त किया। 3. मानवाधिकार समस्त व्यक्तियों और व्यक्तियों में निहित है, व्यवसायिक समूहों, सामाजिक समूहों, समुदायों, जन-जातियों, जातियों, वर्गों, वर्णों, राष्ट्रों अथवा

क्र. सं.	साहित्य	प्रेरक प्रतिपादक	देश	काल	अभिधारधाएँ/आधार तत्व
					अन्य इकाइयों में निहित नहीं है। 4. मानवाधिकार संकल्पना, जहां कही मानव समुदाय सामूहिक जीवन यापन करता, अपरिवर्तनीय रूप से वैध बने रहते है।
50.	मानवाधिकारों के आधुनिक कानून			21 वीं शताब्दी	विशेष कानून द्वारा मानवाधिकारों की वैधता स्थापित करती है। मानवाधिकार व्यक्तियों में निहित है, सामाजिक समूह अथवा समुदायों में निहित नहीं है। अवसर की समानता।
51.	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993	भारतीय संसद	भारत	1993	अधिनियम कार्यपालिका के साथ-साथ न्यायपालिका को समस्त नागरिकों को मानवाधिकारों के पुर्नस्थापन के लिए शक्तियाँ प्रदान करता है।

1.6 वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार के विकास घटनाक्रम[52]

क्र.सं.	तिथि	देश संस्था का नाम	घटना का विवरण
1.	12 जून 2015	ब्रिटेन	मानवाधिकार के लिए संघर्ष का ऐतिहासिक रूप में प्रमाण 12 जून 1215 की उस घटना से मिलता है जब ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट जॉन का उसके सामन्तों द्वारा मानवाधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, इसे इतिहास में "मैग्नाकार्टा" के नाम से जाना जाता है।
2.	1689	ब्रिटेन	ब्रिटेन की संसद तत्कालीन सम्राट् विलियम से एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कराने में सफल रही, जो मानवाधिकार के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुआ।
3.	1766	स्वीडन	स्वीडन सूचना के अधिकार का कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश था।

[52] अनीश भसीन, मानवाधिकरों का उद्भव एवं विकास, प्रतियोगिता दर्पण, हिन्दी मासिक पत्रिका, जनवरी, 2011, पृ. सं. 1078-1079

क्र.सं.	तिथि	देश संस्था का नाम	घटना का विवरण
4.	4 जुलाई 1776	सं. रा. अमेरिका	अमरीकी क्रान्ति के बाद स्वाधीनता की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि "सभी मनुष्य जन्म से समान पैदा हुए है।
5.	1789	फ्रांस	फ्रांस की क्रान्ति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 में 'राइट्स ऑफ मैन एण्ड सिटिजन' की घोषणा की
6.	1791	सं. रा. अमेरिका	अमरीकी संविधान में वर्ष 1791 में प्रथम दल संशोधनों द्वारा नागरिकों के मूल अधिकार को संविधान का अंग बनाया गया। यह दस संशोधन सामूहिक रूप से अधिकार पत्र (बिल ऑफ राइट्स) कहलाएं
7.	1917	रूस	रूस की1917 की क्रान्ति के बाद सर्वहाराओं के लिए मूल अधिकारों की घोषणा की गई
8.	1931	भारत	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेधन में अधिकारों की माँग की गई।
9.	6 जनवरी 1941	अमरीका	अमरीकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा मानवाधिकारों के सम्बन्ध में एक घोषणा की गई जिसमें 4 स्वतन्त्रताओं की घोषणा की गई।
10.	24 अक्टूबर 1945	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर	संयुक्त राष्ट्र द्वारा अल्पसंख्यकों पर उप आयोग की स्थापना की गई
11.	11 फरवरी 1946	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई
12.	1946	संयुक्त राष्ट्र संघ	आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् द्वारा "महिलाओं की हैसियत पर आयोग" की स्थापन की गई
13.	1947	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अल्पसंख्यकों पर उप आयोग' की स्थापना की गई
14.	10 दिसम्बर 1948	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर	संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौतिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया अत: इसी दिन प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, मानवाधिकारों के इस घोषणा पत्र में कुल 30 अनुच्छेद है इसे 'मानवाधिकारों का मैग्नाकार्टा' भी कहते है।

क्र.सं.	तिथि	देश संस्था का नाम	घटना का विवरण
15.	1949	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्धबन्दियों से सम्बन्धित जेनेवा प्रसंविदा स्वीकार की गई
16.	1950	भारत	भारत के संविधान के भाग 3 (अनु. 12 से अनु. 35 तक) में मूल अधिकार को शामिल किया गया संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों को 'भारत का अधिकार पत्र' कहा जाता है।
17.	4 नवम्बर 1950	यूरोपरीय देशों	यूरोपीय मानवाधिकारों की प्रसंविदा को 4 नवम्बर 1950 को अंगीकार किया गया, जो 3 सितम्बर 1953 से लागू हुई।
18.	1951	संयुक्त राष्ट्र संघ	शरणार्थियों की प्रस्थिति से सम्बन्धित प्रसंविदा (1951) बनाई गई, जो 22 अप्रैल 1954 को लागू हुई
19.	1952	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों पर प्रसंविदा' को अंगीकार किया
20.	1954	यूरोपीय देश	यूरोपीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।
21.	1955	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैदियों के सुधार से सम्बन्धित 'न्यूनतम मानक नियम' बनाए गए।
22.	20 नवम्बर 1959	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की।
23.	1961	एमनेस्टी इण्टरनेशनल	मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'एमनेस्टी इण्टरनेशनल' की स्थापना हुई
24.	18 अक्टूबर 1961	यूरोपीय देशों	यूरोपीय सामाजिक चार्टर पर 18 अक्टूबर 1961 को (टरीन में) हस्ताक्षर किए गए यह 26 फरवरी 1965 को लागू हुआ।
25.	1966	संयुक्त राष्ट्र संघ	प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन
26.	1966	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा दिसम्बर 1966 में स्वीकार की गई, जबकि यह दोनों प्रसंविदाएं 1976 में प्रभावी हो सकीं।

क्र.सं.	तिथि	देश संस्था का नाम	घटना का विवरण
27.	दिसम्बर 1966	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का प्रथम वैकल्पिक प्रोटोकॉल' दिसम्बर, 1966 में स्वीकार/अंगीकार किया गया, जो 23 मई, 1776 लागू हुआ।
28.	7 नवम्बर 1967	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति की घोषणा अंगीकृत की
29.	1968	संयुक्त राष्ट्र संघ	तेहरान (ईरान) में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन हुआ।
30.	दिसम्बर 1968	क्षेत्रीय स्तर पर	बेरूत में अरबीय लोगों के मानवाधिकारों पर अरब क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और एक स्थायी अरब मानवाधिकार की स्थापना बेरूत में की गई
31.	22 नवम्बर 1969	क्षेत्रीय स्तर पर	मानवाधिकारों के अन्तर अमरीकी सम्मेलन में अमरीकी मानवाधिकार प्रसंविदा 22 नवम्बर 1969 को अंगीकार की गई, जो 11 जुलाई 1978 को लागू हूई
32.	जनवरी 1971	कॉमनवेल्थ देशों	कॉमनवेल्थ राष्ट्रों की सरकारों के अध्यक्षों की एक बैठक जनवरी 1971 में सिंगापुर मे हुई जिसमें घोषणा की गई कि हम सब प्रकार के औपनिवेशिक प्रभुत्व और जातीय दमन का विरोध करते है।
33.	मई 1974	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु घोषणा पारित की गई
34.	12 दिसम्बर 1974	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसम्बर 1974 को अपने अधिवेशन में एक संकल्प अंगीकार किया जो 'आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य चार्टर' के रूप में जाना जाता है।
35.	9 दिसम्बर 1975	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकलांगों के अधिकारों की घोषणा की गई
36.	1975	संयुक्त राष्ट्र	महिलाओं के उत्थान हेतु 'अन्तर्राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई
37.	1976	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर	महिलाओं हेतु 'संयुक्त राष्ट्र विकास निधि' की स्थापना की गई

क्र.सं.	तिथि	देश संस्था का नाम	घटना का विवरण
38.	20 नवम्बर 1976	संयुक्ता राष्ट्र	सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 के क्रियान्वयन हेतु मानवाधिकार समिति का गठन किया गया
39.	1978	हूमन राइटस वाच	ह्यूमन राइटस् वाच की स्थापना की गई
40.	अगस्त 1979	कॉमनवेल्थ देशों की बैठक	कॉमलवेल्थ राष्ट्रों की सरकारो के अध्यक्षों की एक बैठक अगस्त 1779 में लुसाका में हुई, जिसमें घोषणा की गई कि हम सब रंग भेद को बनाए रखने की नीतियों को अमानवीय मानकर अस्वीकार करते है।
41.	18 दिसम्बर 1979	संयुक्त राष्ट्र संघ	महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर प्रसंविदा महासभा द्वारा 18 दिसम्बर 1979 को अंगीकृत की गई, जो सितम्बर 1981 में लागू हई
42.	27 जून 1981	क्षेत्रीय स्तर पर	'अफ्रीकी चार्टर' जिसे 'बुजल चार्टर' के नाम से भी जाना जाता है को 27 जून 1981 को अंगीकार किया गया और यह 21 अक्टूम्बर 1986 को लागू हुआ।
43.	3 दिसम्बर 1982	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र ने अपने प्रस्ताव के द्वारा 'विकलांगों के लिए विश्वव्यापी कार्यक्रम' तैयार किया।
44.	1984	संयुक्त राष्ट्र संघ	उत्पीडन एवं अन्य अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार रोकने से सम्बन्धित प्रसंविदा स्वीकार की गई
45.	29 नवम्बर 1985	संयुक्त राष्ट्र संघ	बल न्याय प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र के स्टैण्डर्ड मिनियम रूल्स महासभा द्वारा स्वीकार किए गए।
46.	1986	संयुक्त राष्ट्र	विकास के अधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई
47.	19 दिसम्बर 1988	संयुक्त राष्ट्र	संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बन्दीगृह में रखे गए सभी व्यक्तियों की रक्षा से सम्बन्धित नियमों को स्वीकार किया
48.	20 नवम्बर 1989	संयुक्त राष्ट्र	महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 'बाल अधिकार प्रसंविदा' 20 नवम्बर 1989 को स्वीकार की गई जो 2 सितम्बर 1990 को लागू हुई
49.	15 दिसम्बर 1989	संयुक्त राष्ट्र संघ	महासभा द्वारा सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकोल में स्वीकार किया गया, जो 11 जुलाई 1991 को लागू हुआ।

क्र.सं.	तिथि	देश संस्था का नाम	घटना का विवरण
50.	1990	संयुक्त राष्ट्र	सभी विस्थापित श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों के अधिकारों की रक्षा के बारे में प्रसंविदा 1990 में स्वीकार की गई
51.	18 दिसम्बर 1991	संयुक्त राष्ट्र संघ	महासभा द्वारा 'स्वैच्छिक मानवाधिकार न्याय कोष' की स्थापना करने की घोषणा की गई
52.	1992	संयुक्त राष्ट्र	राष्ट्रीय अथवा जातीय, धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित व्यक्तियों के अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1992 में की गई
53.	25 जून 1993	संयुक्त राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में वियना (आस्ट्रिया) में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन हुआ।
54.	20 दिसम्बर 1993	संयक्त राष्ट्र संघ	महासभा ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दिसम्बर 1993 में एक मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन किया
55.	1993	भारत	भारतीय संसद ने मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993' में पारित किया, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई
56.	1994	संयुक्ट राष्ट्र संघ	संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने वर्ष 1994 में 'मानवाधिकार हॉट लाइन' की स्थापना की।
57.	1994-2004	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर	संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'मानवाधिकार शिक्षा दशक' घोषित किया गया
58.	1996	क्षेत्रीय स्तर पर	'राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के एरिया पैसिफिक फोरम', 1996 में आस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया
59.	2001	संयक्त राष्ट्र संघ	मानवाधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को वर्ष 2001 का 'नोबेल शान्ति पुरूस्कार' प्रदान किया गया
60.	16 जुन 2006	मानवाधिकार परिषद्	संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर 'मानवाधिकार परिषद्' की स्थापना की गई
61.	मई 2007	भारत	भारत को मानवाधिकार परिषद् की (पूरे तीन वर्षों तक) सदस्यता प्राप्त हुई
62.	अप्रैल 2008	भारतीय मूल	भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रिकी नागरिक नवानेथेम पिल्लै मानवाधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र आयुक्त चुनी गई

1.5 मानवाधिकार के विकास के विभिन्न चरण

मानवाधिकार के विकास को कुल चार चरणों में बांटा जा सकता है। इन चार चरणों में समय समय पर की गई विभिन्न घोषणाओं प्रसंविदाओं व नियमों का विवरण है, जो इस प्रकार है।[53]

प्रथम चरण (1945 से 1948 तक)

मानवाधिकार के विकास के प्रथम चरण में मानवाधिकारों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किए गए, जो इस प्रकार है-

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945
- मानवाधिकार आयोग, 1946
- मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948
- नरसंहार के अपराध रोकने एवं दण्ड से सम्बन्धित प्रसंविदा 1948

द्वितीय चरण (1949 से 1975 तक)

मानवाधिकार के विकास के इस चरण में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा द्वारा निश्चित किए गए कार्यक्रमों की वैधानिकता प्राप्त करने वाला चरण कहा जाता है इस चरण में कई क्षेत्रीय प्रसंविदाएं भी स्वीकृति की गई, जो इस प्रकार है-

- युद्धबंदियों से सम्बन्धित जेनेवा प्रसंविदा, 1949
- यूरोपीय मानवाधिकार प्रसंविदा, 1950
- शरणार्थियों की प्रस्थिति से सम्बन्धित प्रसंविदा, 1951
- महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों पर प्रसंविदा, 1952

---

[53] अनीश भसीन, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं मानवाधिकार, प्रतियोगिता दर्पण, हिंदी मासिक पत्रिका, दिसम्बर, 2010, पृ. सं. 903

- आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966
- सिविल व राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966
- सिविल व राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा का ऐच्छिक प्रोटोकाल, 1966
- शरणार्थियों की प्रास्थिति से सम्बन्धित प्रोटोकोल, 1967
- विश्व मानवाधिकार सम्मेलन (तेहरान), 1968
- अमरीका मानवाधिकार प्रसंविदा, 1969
- विकलांगों के अधिकार की घोषणा, 1975

तृतीय चरण (1976 से 1989 तक)

इस चरण में मानवाधिकारों से सम्बन्धित कई प्रवृतियां देखी जा सकती है, जो इस प्रकार है:-

- आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा को लागू करना, 1976
- सिविल व राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को लागू करना, 1976
- सिविल व राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा का प्रोटोकोल लागू करना, 1976
- महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर प्रसंविदा, 1979
- बाल न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र के स्टैण्डर्डस् मिनियम रूल्स, 1985
- बंदीगृह में रखे व्यक्तियों की रक्षा से सम्बन्धित नियमों का समूह, 1988
- सिविल व राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा का द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकाल, 1989
- बाल अधिकार प्रसंविदा, 1989

चतुर्थ चरण (1990 वर्तमान तक)

मानवाधिकार के विकास के चतुर्थ चरण को 'परिवर्तन की हवा' के नाम से जाना जाता है इस चरण में मानवाधिकारों से सम्बन्धित जो नई प्रवृतियां हुई, वह इस प्रकार है :-

- स्वैच्छिक मानवाधिकार न्यास कोष की स्थापना की घोषणा, 1991
- राष्ट्रीय अथवा जातीय, धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा, 1992
- विश्व मानवाधिकार सम्मेलन (वियना), 1993
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन, 1993
- मानवाधिकार हॉट लाइन की स्थापना, 1994
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थापन पर 'मानवाधिकार परिषद्' का गठन 2006
- संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली ने अगस्त 2010 मे एक प्रस्ताव पारित कर स्वच्छ जल और स्वच्छता दो नए मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान की है।

1.6 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन मानव अधिकार

सैन फ्रांसिस्कों सम्मेलन में कई राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय बिल प्रस्तुत करना चाहिए। य़द्यपि ऐसा नही किया जा सकता, फिर भी सदस्यों द्वारा इस बात की आवश्कता महसूस की गयी कि युद्ध की विभीषिका का उन्मूलन करने में सहयोग करना अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की बाध्यता होनी चाहिए, और इसलिए उन्होने यह निश्चय किया कि मानव अधिकारों में अभिवृद्धि तथा उसके लिए सम्मान संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक उद्देश्य होगा। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मानव अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। चार्टर की उद्देशिका और अनुच्छेद 1, 13 (1) (ख), 55, 56, 62 (2) और 76 (ग) में मानव

अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं की अभिवृद्धि के लिए प्रावधान शामिल किया गया जो निम्नलिखित प्रकार के है[54]-

- चार्टर की उद्देशिका अपने प्रथम परिच्छेद में यह अधिकथित करती है कि 'संयुक्त राष्ट्र के लोग मूल मानव अधिकारों के प्रति, मानव की गरिमा और महत्व के प्रति, पुरुषों और स्त्रियों तथा बडे और छोटे राष्ट्रों के समान अधिकारों के प्रति निष्ठा को पुन: अभिपुष्ट के लिए दृढ निश्चित है.....।"
- चार्टर के अनुच्छेद 1 के परिच्छेद 3 में वर्णित उदे्श्यों में से एक मूल वंश, लिंग भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने और प्रोत्साहित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। इस प्रकार मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अधिकतम स्वतंत्रता तथा गरिमा प्राप्त करना है। उक्त प्रावधान दर्शित करता है कि मूल वंश लिंग, या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिये मान्यता दी गयी।
- संयुक्त राष्ट्र के दो अंग - महासभा तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद् को मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं में अभिवृद्धि करने का कार्य सौंपा गया। अनुच्छेद 13 द्वारा, महासभा को मूल, वंश, लिंग भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में सहायता करने के प्रयोजन के लिए अध्ययन करने तथा सिफारिश करने के लिए सशक्त किया गया। मानव अधिकारों से सम्बन्धित अधिकतर मामलों पर महासभा की तृतीय समिति (सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक समिति) द्वारा विचार किया जाता है। कुछ मामले छठी समिति (विधिक समिति या प्रथम समिति)

---

[54] डॉ. एच.ओ. अग्रवाल, अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, ग्यारहवॉ संस्करण: 2010, पृ. सं. 634-635

नि:शस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति द्वारा भी विचार किये जाते है। महासभा ने मानव अधिकारों से सम्बन्धित कुछ मामलों पर विशेष समितियां का भी गठन किया है जो महासभा के सहायक अंग कहे जाते है। ये विशेष समितियाँ मानव अधिकारों पर विचार करती है जिनके लिए उनका निर्मित किया जाता है। उदाहरण के लिए, रंगभेद पर विशेष रंगभेद के मामले में विचार करती है।

- अनुच्छेद 55 यह प्रावधान करता है कि संयुक्त राष्ट्र (अ)उच्चतर जीवन स्तर, पूर्ण नियोजन और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के लिए अभिवृद्धि करेगा (ब) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य विषयक और सम्बन्ध समस्याओं के हल तथा अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग की अभिवृद्धि करेगा, (स) मूलवंश लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर विभेद किये बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं के प्रति विश्वव्यापी आदर और उनके पालन की अभिवृद्धि करेगा।
- अनुच्छेद 56 द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य अनुच्छेद 55 में उपवर्णित प्रयोजनों की पूर्ति के लिए संगठन के सहयोग से संयुक्त या पृथक रूप से कार्यवाही करने की प्रतिज्ञा करते है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् को मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने के विषय में अधिकार प्रदान किया है।
- चार्टर का अनुच्छेद 62 आर्थिक और सामाजिक परिषद् को मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर बढाने के प्रयोजन के लिए और उनके पालन के लिए सिफारिशें करने के लिए सशक्त करता है।
- अनुच्छेद 68 आर्थिक और सामाजिक परिषद् को आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में मानव अधिकारों की अभिवृद्धि के लिए आयोग तथा ऐसे अन्य आयोग को स्थापित करने का निर्देश देता है, जिसको वह अपने कार्यो का पालन करने के लिए आवश्यक समझता हो।

- अनुच्छेद 76 का परिच्छेद (ग) यह प्रावधान करता है कि न्यासिता प्रणाली के मूल उद्देश्यों में एक मूल वंश, लिंग, भाषा और धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के सभी के लिए मानव अधिकारों के प्रति और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर को प्रोत्साहन देना और विश्व के लोगों को एक दूसरे पर आश्रित होने की मान्यता के लिए प्रोत्साहन देना है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त, चार्टर में बारम्बार मूलभुत अधिकार, मानव के मूल्य की गरिमा 'समान अधिकार', न्याय, सामजिक उन्नति एवं मूलभूत स्वतंत्रता को संदर्भित किया गया है। चार्टर में लोगों के आत्मनिर्णय के विषय में तीन अध्याय है।

1.7 निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्याय में मानवाधिकार के बारे में सामान्य परिचय का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसमें किन-किन कालों में किस प्रकार के मानवाधिकार किस स्थान पर किन परिस्थितियों में निर्मित हुए है का वर्णन किया गया है। मानवाधिकारों का जन्म 1215 में मेग्नाकार्टो से स्पष्ट रूप से माना जाता है और शनै-शनै मानवाधिकारों का विकास किस प्रकार हुआ है और संसार की किन राज व्यवस्थाओं में मानवाधिकारों का विकास किस तरह से हुआ है का वर्णन प्रस्तुत अध्याय में वर्णित किया गया है। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में मानवाधिकारों की महत्ती भूमिका रही है और मानवाधिकारों की भावना ने भारतीयों को स्वतन्त्र होने की भावना विकसित की थी। वर्तमान समय में संसार के लगभग सभी लोकतान्त्रिक राष्ट्रों तथा विशेषकर भारत में मानवाधिकारों को समाज में स्थापित किये जाना का प्रयास निरन्तर जारी है।

***